

कोटक कार सेक्योर पॉलिसी वर्डींस

जबकि बीमारक्षित व्यक्ति, इस अनुसूची में उल्लिखित तारीख पर प्रस्ताव या घोषणा द्वारा, जो इस संविदा का आधार बनेगा और जिसे यहाँ शामिल माना जाएगा, यहाँ इसके बाद शामिल बीमा हेतु कंपनी पर लागू होगा और जिसने बीमा की अवधि के दौरान होने वाली दुर्घटनाजन्य हानि या क्षति के संबंध में उक्त बीमा के प्रतिफल के रूप में इस अनुसूची में उल्लिखित प्रीमियन का भुगतान किया है।

अब यह पालिसी इस बात का साक्ष्य बनती है

कि यहाँ शामिल अथवा यहाँ समर्थित या अभिव्यक्त पदबंध छूट एवं शर्तों के तहत होगी।

भाग I. बीमारक्षित वाहन की हानि या क्षति

कंपनी यहाँ इसके तहत बीमारक्षित वाहन तथा / या उसके पुर्जों की हानि या क्षति के समक्ष बीमारक्षित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देगी

1. आग से होने वाले विस्फोट, स्व-ज्वलन या तड़ित द्वारा ;
2. संधमारी या चोरी द्वारा ;
3. दंगे और हड़ताल द्वारा ;
4. भूकंप द्वारा (आग या प्रघात से हानि) ;
5. बाढ़, आंधी, हरीकेन चक्रवात, तूफान, सैलाब, अंधड़, ओलावृष्टि, पाला द्वारा ;
6. बाहरी साधनों से दुर्घटना द्वारा ;
7. दुर्भावनापूर्ण कार्य द्वारा ;
8. आतंकवादी कार्य द्वारा ;
9. सड़क, रेल, अंतर्जलय मार्ग में होते समय, लिफ्ट, एलीवेटर या वायु में होते समय ;
10. भूस्खलन, चट्टान सरकने द्वारा।

बदले गए पुर्जों के संबंध में नीचे उल्लिखित दरों पर मूल्यहास की कटौती की शर्त पर-

1. सभी रबर/ नायलोन / प्लास्टिक के पुर्जों, टायर व ट्यूब, बैटरियों और एयर बैगों के लिए - 50%
2. फायबर ग्लास के घटकों के लिए -30%
3. कांच से बने सभी पुर्जों के लिए - कुछ नहीं
4. लकड़ी के पुर्जों सहित अन्य सभी पुर्जों के लिए मूल्यहास की दर निम्नानुसार होगी -

वाहन की आयु	मूल्यहास का %
6 महीनों से अधिक नहीं	कुछ नहीं
6 महीनों से अधिक लेकिन 1 वर्ष से अधिक नहीं	5%
1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्षों से अधिक नहीं	10%
2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्षों से अधिक नहीं	15%
3 वर्ष से अधिक लेकिन 4 वर्षों से अधिक नहीं	25%
4 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से अधिक नहीं	35%
5 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्षों से अधिक नहीं	40%
10 वर्षों से अधिक	50%

5. पेंटिंग के लिए मूल्यहास की दर - पेंटिंग के मामले में, केवल पेंटिंग के कुल प्रभार की सामग्री की लागत पर 50% मूल्यहास की दर लागू होगी। पेंटिंग प्रभार का समेकित बिल होने पर, सामग्री के घटकों को मूल्यहास लागू करने के प्रयोजनार्थ कुल पेंटिंग प्रभार का 25% माना जाएगा।

कंपनी निम्नलिखित के संबंध में कोई भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी:

- a. परिणामी हानि, मूल्यहास, टूट-फूट, यांत्रिक या वैद्युत खराबी, विफलता या त्रुटि ;
- b. टायरों और ट्यूबों को हुई क्षति जब तक कि वाहन उस समय क्षतिग्रस्त न हुआ हो जिस मामले में कंपनी की देयता स्थानापन की लागत के 50% तक सीमित होगी ;
- c. कोई दुर्घटनाजन्य हानि या क्षति जो बीमारक्षित व्यक्ति या उनकी जानकारी या सहमति के साथ किसी अन्य व्यक्ति जो शराब या मादक पदार्थों के प्रभाव में होने के कारण द्वारा वाहन चलाते समय हुई।

यदि इस पालिसी के तहत बीमारक्षित हानि या क्षति के कारण वाहन चलने की स्थिति में न हो, तो कंपनी सुरक्षा तथा नज़दीकी मरम्मतकर्ता तक जाने और उसे बीमारक्षित व्यक्ति तक सुपुर्द करने की उचित लागत वहन करेगी परंतु यह लागत किसी एक दुर्घटना के संबंध में यह रु. 1500/- से अधिक नहीं होगी।

बीमारक्षित व्यक्ति क्षति के कारण वाहन की मरम्मत करवाने के लिए अधिकृत होगा जिसके लिए कंपनी इस पालिसी के तहत उत्तरदायी होगी बशर्ते कि -

- a. प्रतिस्थापन, यदि कोई हो, सहित उक्त मरम्मत की प्राकलित लागत रु. 500/- से अधिक नहीं होगी ;
- b. कंपनी को मरम्मत की लागत का विस्तृत प्राकलन प्रस्तुत किया जाएगा ;
- c. बीमारक्षित व्यक्ति कंपनी को हरसंभव सहायता प्रदान करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मरम्मत करवाना आवश्यक था और प्रभार उचित हैं।

बीमारक्षित राशि, बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा घोषित मूल्य (आई.डी.वी.)

बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा वाहन का घोषित मूल्य (आई.डी.वी.) को इस पालिसी के प्रयोजनार्थ बीमारक्षित राशि माना जाएगा जिसे बीमारक्षित वाहन के लिए प्रत्येक पालिसी अवधि के प्रारंभ होने पर तय किया जाता है।

वाहन (और वाहन में लगे उपकरण, यदि कोई हो) का आई.डी.वी. का निर्धारण बीमा के प्रारंभ होने / नवीकृत करने पर बीमारक्षित वाहन के ब्रांड और मॉडल की निर्माता द्वारा सूचीबद्ध बिक्री कीमत के आधार पर किया जाएगा और मूल्यहास के लिए समायोजित किया जाएगा (नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार)।

नीचे दर्शाए गए अनुसार आयु-वार मूल्यहास की अनुसूची केवल कुल हानि/प्रलक्षित कुल हानि (टी.एल./सी.टी.एल.) के प्रयोजनार्थ लागू होगी।

वाहन का आई.डी.वी. तय करने के लिए मूल्यहास की अनुसूची

वाहन की आयु	मूल्यहास का %
6 महीनों से अधिक नहीं	5%
6 महीनों से अधिक लेकिन 1 वर्ष से अधिक नहीं	15%
1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्षों से अधिक नहीं	20%
2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्षों से अधिक नहीं	30%
3 वर्ष से अधिक लेकिन 4 वर्षों से अधिक नहीं	40%
4 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से अधिक नहीं	50%

5 वर्षों से अधिक आयु के वाहनों और अप्रचलित मॉडलों (यानी ऐसे मॉडल जिनका निर्माण उनके निर्माताओं ने बंद कर दिया है) की आईडीवी का निर्धारण बीमाकर्ता और बीमारक्षित व्यक्ति के बीच के समझौते के आधार पर किया जाना है।

आईडीवी को कुल हानि (टीएल)/प्रलक्षित कुल हानि (सीटीएल) के दावों के प्रयोजनार्थ कोई अतिरिक्त मूल्यहास किए बिना इस पालिसी की पूरी अवधि में बाज़ार मूल्य माना जाएगा।

बीमारक्षित वाहन को सीटीएल माना जाएगा यदि वाहन को अपनी सामान्य स्थिति में लाने तथा / या उसकी मरम्मत की कुल लागत उसके आईडीवी से 75% से अधिक हो जो इस पालिसी के निबंधन व शर्तों के अधीन होगा।

भाग II - तृतीय पक्षकारों के प्रति दायित्व

1. यहाँ दी गई अनुसूची में उल्लिखित दायित्व की सीमाओं की शर्त पर, कंपनी ऐसी सभी राशियों के समक्ष वाहन का प्रयोग करने के कारण दुर्घटना होने की स्थिति में बीमारक्षित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करेगी जिन्हें बीमारक्षित व्यक्ति निम्नलिखित के संबंध में कानूनी रूप से अदा करने के लिए दायी होगा:
 - a. वाहन में जा रहे व्यक्तियों सहित किसी व्यक्ति की मृत्यु या शरीर पर चोट (बशर्ते कि वाहन पर बैठे ऐसे व्यक्तियों को भाड़ें पर या पारितोषिक पर नहीं ले जाया जा रहा हो) लेकिन जहाँ तक मोटर वाहन अधिनियम की अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक हो, कंपनी बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति के नियोजन के कारण और उसके दौरान होने वाली उक्त मृत्यु या चोट के मामले में उत्तरदायी नहीं होगी।
 - b. बीमारक्षित व्यक्ति से संबंधित संपत्ति या किसी ट्रस्ट में धारित अथवा बीमारक्षित व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण में धारित संपत्ति को छोड़कर अन्य संपत्ति को क्षति।
2. कंपनी अपनी लिखित सहमति में उपगत सभी लागत और व्ययों को अदा करेगी।

- बीमारक्षित व्यक्ति को इस भाग में उल्लिखित क्षतिपूर्ति की सीमाओं के परिप्रेक्ष्य में और उनके अधीन, कंपनी ऐसे ड्राइवर को क्षतिपूर्ति करेगी जो बीमारक्षित व्यक्ति के आदेश या उसकी अनुमति से वाहन चला रहा हो बशर्त कि ऐसा ड्राइवर बीमारक्षित व्यक्ति की ही तरह इस पालिसी के निबंधनों, छूट और शर्तों को जहाँ तक वे लागू होते हैं, पूरा करता हो और उनका पालन करता हो।
- इस पालिसी के तहत क्षतिपूर्ति किए जाने के लिए हकदार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, कंपनी ऐसे व्यक्ति पर उपगत दायित्व के संबंध में इस पालिसी के परिप्रेक्ष्य में और उसके अधीन उनके निजी प्रतिनिधि को क्षतिपूर्ति देगी बशर्त कि ऐसा निजी प्रतिनिधि बीमारक्षित व्यक्ति की ही तरह इस पालिसी के निबंधनों, छूट और शर्तों को जहाँ तक वे लागू होते हैं, पूरा करता हो और उनका पालन करता हो।
- कंपनी अपने विकल्प पर
 - किसी मृत्यु के मामले में जो इस पालिसी के तहत क्षतिपूर्ति के अधीन होगा, किसी जाँच-पड़ताल या घातक दुर्घटना की पृष्ठताछ में अभ्यावेदन की व्यवस्था करना;
 - इस पालिसी के तहत क्षतिपूर्ति के अधीन किसी घटना के कारण या उससे उत्पन्न होने वाले किसी कार्य या अभिकथित अपराध के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा करना।

क्षतिपूर्ति निबंधनों का परिवर्जन और वसूली का अधिकार

इस पालिसी में या इसमें किए गए किसी समर्थन में उल्लिखित कोई भी बात इस पालिसी के तहत क्षतिपूर्ति किए गए किसी व्यक्ति का अधिकार प्रभावित नहीं होगा या मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत या उनके कारण किसी राशि को वसूल करने का किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। परंतु, बीमारक्षित व्यक्ति कंपनी को कंपनी द्वारा अदा की गई ऐसी सभी राशियों को चुकाएगा जिनके लिए उक्त प्रावधानों को छोड़कर, कंपनी अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी।

क्षतिपूर्ति की सीमाओं की अनुप्रयोज्यता

किसी ऐसी दुर्घटना के मामले में, जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति करना हो, इस पालिसी के निबंधनों में निर्धारित कोई सीमा तथा / या क्षतिपूर्ति की किसी राशि के लिए इनमें की गई कोई सहमति क्षतिपूर्ति के हकदार सभी व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की कुल राशि लागू होगी और ऐसी क्षतिपूर्ति बीमारक्षित व्यक्ति के लिए प्राथमिकता पर लागू होगी।

भाग खखख. वाहन के मालिक - ड्राइवर के लिए निजी दुर्घटना बीमारक्षा

कंपनी बीमारक्षित वाहन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित या बीमारक्षित वाहन चलाते समय या चढ़ते/उतरते समय या उसमें सह-चालक के रूप में सवारी करते समय, वाहन के मालिक - ड्राइवर के शरीर पर पहुंची चोट / मृत्यु जो हिंसक दुर्घटनाजन्य बाहरी और दृश्यगत साधनों द्वारा होती हो और जो ऐसी चोट के छः कैलेंडर महीनों के भीतर किसी अन्य कारण से संबंधित न हो, होने पर निम्नलिखित स्केल के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी:

चोट की प्रकृति	क्षतिपूर्ति की सीमा
i) मृत्यु	100%
ii) दो अंगों या दोनों आँखों की रौशनी की हानि या एक अंग और एक आँख की रौशनी की हानि	100%
iii) एक अंग और एक आँख की रौशनी की हानि ऊपर उल्लिखित हानियों के अलावा,	50%
iv) चोटों के कारण स्थायी कुल अक्षमता	100%

बशर्त कि

- क्षतिपूर्ति किसी एक घटने के कारण मालिक - ड्राइवर के संबंध में उपर्युक्त मद सं. (i) से (iv) में से किसी एक मद के तहत ही देय होगी और बीमारक्षित व्यक्ति की कुल देयता बीमा की किसी एक अवधि के दौरान रु. 2 लाख की कुल राशि से अधिक नहीं होगी।
- निम्नलिखित के परिणामस्वरूप या के कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होने वाली मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी:
 - जान-बूझकर खुद को चोट पहुंचाने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास करना या ऐसे प्रयास के कारण हुई शारीरिक हानि या विकृति अथवा
 - दुर्घटना तब होती है जब ऐसा व्यक्ति किसी मादक पदार्थ या दवाओं का सेवन कर उनके प्रभाव में हो।
- ऐसी क्षतिपूर्ति सीधे ही बीमारक्षित व्यक्ति को या उनके कानूनी प्रतिनिधियों को देय होगी जिनके द्वारा ऐसी क्षतिपूर्ति को प्राप्त करना बीमारक्षित व्यक्ति को पहुँची चोट के संबंध में पूर्ण निर्वहन होगा।
 - यह बीमारक्षा निम्नलिखित के अधीन होगी:
 - मालिक-ड्राइवर यहाँ बताए गए बीमारक्षित वाहन के पंजीकृत मालिक हैं;
 - मालिक-ड्राइवर इस पालिसी में उल्लिखित नाम के ही बीमारक्षित हैं।
 - मालिक-ड्राइवर दुर्घटना के समय केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस धारित करते हैं।

सामान्य अपवाद (पालिसी के सभी भागों पर लागू)

कंपनी इस पालिसी के तहत निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी नहीं होगी

- भौगोलिक क्षेत्र से बाहर हुए या उपगत कोई दुर्घटनाजन्य हानि या क्षति तथा/या दायित्व;

- किसी संविदाजन्य दायित्व के परिणामस्वरूप किया गया कोई दावा;
- कोई दुर्घटनाजन्य हानि, क्षति तथा/या दायित्व जो यहाँ नीचे उल्लिखितानुसार बीमारक्षित वाहन को हो या उपगत हो:
 - 'प्रयोग करने की सीमाएँ' में दिए गए निर्देशों को छोड़कर अन्य प्रकार से प्रयोग करना,
 - ड्राइवर के खंड में बताए गई विधि के अनुसार, ड्राइवर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में उनके द्वारा वाहन चलाना।
- किसी संपत्ति को हुई किसी प्रकार की दुर्घटनाजन्य हानि या क्षति या कोई अन्य हानि या व्यय जो किसी परिणामी हानि से होती हो।
 - किसी भी प्रकृति की देयता जो किसी नाभिकीय ईंधन या नाभिकीय ईंधन के दहन से पैदा होने वाले किसी नाभिकीय अपशिष्ट के कारण उत्पन्न रेडियोधर्मिता से विकिरणों या प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती है। इस अपवाद के प्रयोजनार्थ, दहन में नाभिकीय पृथक्करण की स्व-निर्वहनीय प्रक्रिया भी शामिल होगी।
- नाभिकीय शस्त्र सामग्रियों के कारण या उनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होने वाली कोई दुर्घटनाजन्य हानि या क्षति।
- कोई दुर्घटनाजन्य हानि, क्षति तथा / या दायित्व जो युद्ध, घुसपैठ, विदेशी दुश्मनों के कार्य, शत्रुता या युद्ध जैसे आपरेशन (युद्ध से पहले या उसके बाद घोषित), नागरी युद्ध, विद्रोह, सैन्य या अनधिकार शक्ति या ऐसी घटनाओं के किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष परिणाम द्वारा हो और इसके तहत किए गए किसी दावे के मामले में, बीमारक्षित व्यक्ति यह सिद्ध करेंगे कि ऐसी दुर्घटनाजन्य हानि, क्षति तथा / या दायित्व स्वतंत्र रूप से हुआ है और वह वह ऐसी किसी भी घटना या उसके परिणामों से किसी भी तरह संबंधित नहीं थे या उसके भाग नहीं थे या उनका कोई हाथ नहीं था, और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर, कंपनी ऐसे दावे के संबंध में कोई भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

कटौती योग्य

कंपनी इस अनुसूची में उल्लिखित कटौती योग्य मदों के संबंध में इस पालिसी के भाग-1 (बीमारक्षित वाहन को हानि या क्षति) के तहत किए जाने वाले प्रत्येक दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

शर्तें

इस पालिसी और अनुसूची को साथ-साथ पढ़ा जाएगा और कोई शब्द या अभिव्यक्ति जिसका विशेष अर्थ इस पालिसी या अनुसूची के किसी भाग में दिया गया हो, तो उसका वही अर्थ समझा जाएगा जहाँ कहीं यह शब्द विद्यमान हो।

- दावा करने के मामले में किसी दुर्घटनाजन्य हानि या क्षति होने पर इसकी सूचना कंपनी को तत्काल लिखित रूप में दी जाएगी और उसके बाद बीमारक्षित व्यक्ति कंपनी को यथा आवश्यक सभी जानकारी और सहायता प्रदान करेंगे। बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा प्रत्येक पत्र, दावा, रिट याचिका तथा / या प्रक्रिया या उसकी प्रकृति कंपनी को तत्काल अग्रेषित की जाएगी। बीमारक्षित व्यक्ति इस पालिसी के तहत दावा किए जाने के संबंध में किसी आसन्न अभियोजन, जाँच-पड़ताल या घातक दुर्घटना की जाँच, जो उसकी जानकारी में हो, की सूचना भी तत्काल कंपनी को लिखित रूप में देंगे। चोरी या किसी आपराधिक कार्य के मामले में, जो इस पालिसी के तहत दावा का विषय हो सकता है, बीमारक्षित व्यक्ति तत्काल पुलिस को सूचना देंगे और अपराधी की दोषसिद्धि में कंपनी के साथ पूरा सहयोग करेंगे। जब कभी किसी दुर्घटना से संबंधित विवरण जिनके कारण दावा किया जा सकता है, उचित अवधि के बाद बीमाकर्ता को बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं, बीमारक्षित व्यक्ति बीमाकर्ता को ऐसी देरी के कारण बताएँगे और बीमाकर्ता, ऐसे कारणों का विश्लेषण करने के बाद, दावा की सूचना में उक्त देरी को क्षमा कर सकते हैं या बीमाकर्ता को आवश्यक सूचना / दस्तावेज प्रदान किए जाएँगे।
- कंपनी की लिखित सहमति के बिना कंपनी द्वारा कोई प्रवेश प्रस्ताव वादा भुगतान या क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी या बीमारक्षित व्यक्ति की ओर से दी जाएगी जिसकी हकदारिता अधिग्रहण करने की इच्छा व्यक्त करने पर हो सकती है तथा बीमारक्षित व्यक्ति के नाम पर किसी दावे के बचाव या निपटारे के लिए उसके हित में क्षतिपूर्ति के लिए या अन्यथा हो सकती है और कंपनी द्वारा किसी दावे की कार्यवाही या निपटान के लिए हो सकती है और बीमारक्षित व्यक्ति कंपनी को इस संबंध में यथा आवश्यक सूचना और सहायता प्रदान करेंगे।
- कंपनी अपने विकल्प पर वाहन या सके किसी हिस्से तथा / या उसके किसी पुर्जे की मरम्मत, बहाली या प्रतिस्थापन कर सकती है या हानि या क्षति की राशि को नकद में भुगतान कर सकती है और इस संबंध में कंपनी की देयता निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी:
 - वाहन की कुल हानि / प्रलक्षित कुल हानि के लिए - बीमारक्षित व्यक्ति का वाहन का घोषित मूल्य (आईडीवी) (जिसमें उसके पुर्जे भी शामिल होंगे) जैसा कि नुकसान के मूल्य को घटाकर अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।
 - आंशिक हानि यानी वाहन की कुल हानि / प्रलक्षित कुल हानि के अलावा - निर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार मूल्यहास की शर्त पर निर्भर करते हुए पुर्जे / क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत तथा / या प्रतिस्थापन की वास्तविक और उचित लागत।

4. बीमारक्षित व्यक्ति अपने वाहन को हानि या क्षति से बचाने के लिए और उसे अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय करेंगे और कंपनी किसी भी समय वाहन या उसके किसी हिस्से या बीमारक्षित व्यक्ति के ड्राइवर या किसी कर्मचारी की जाँच करने के लिए स्वतंत्र होगी और उसे इसका पूरा अधिकार होगा। किसी दुर्घटना या खराबी के मामले में, उसे अतिरिक्त क्षति या हानि से बचाने के लिए उचित पूर्वापाय किए बिना वाहन को निगरानी बिना कहीं नहीं छोड़ा जाएगा और वाहन को आवश्यक मरम्मत किए बिना चलाया जाता है तो वाहन को होने वाली अतिरिक्त क्षति के लिए बीमारक्षित व्यक्ति पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

5. रद्दीकरण:

a) गलबयानी, धोखाधड़ी, महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना या बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा बीमाकर्ता के अंतिम ज्ञात पते पर सुपुर्दगी को दर्ज करते हुए रद्दीकरण की सूचना पंद्रह दिनों में न भेजते हुए सहयोग न करने से बीमाकर्ता इस पालिसी को रद्द कर सकते हैं और बीमाकर्ता बीमारक्षित व्यक्ति को इस पालिसी की शेष अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम की वापसी करेंगे।

b) बीमारक्षित व्यक्ति की इच्छा पर सात दिनों के रद्दीकरण की सूचना देने पर पालिसी को रद्द किया जा सकता है और बीमाकर्ता को पालिसी के रद्द करने से पहले वह अवधि जिसके लिए बीमारक्षा विद्यमान थी, के लिए दरों की कम अवधि स्केल पर प्रीमियम को प्रतिधारित करने की हकदारिता होगी। शेष प्रीमियम, यदि कोई हो, बीमारक्षित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। प्रीमियम की वापसी इन शर्तों पर निर्भर होगी –

- i) पालिसी के तहत कोई दावा न हो, और
- ii) टैरिफ में यथा निर्दिष्ट न्यूनतम प्रीमियम प्रतिधारित हो।

c) पालिसी को यह सुनिश्चित करने के बाद ही रद्द किया जा सकता है कि वाहन को अन्यत्र, कम से कम देयता मात्र के लिए बीमारक्षित किया गया हो और रद्दीकरण के लिए बीमा का मूल प्रमाण-पत्र अभ्यर्पित किया गया हो।

d) बीमाकर्ता को बीमा के उक्त रद्दीकरण के बारे में संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आरटीए) को दर्ज की गई सुपुर्दगी की सूचना देनी होगी।

पालिसी को रद्द करने पर, नीचे उल्लिखित कम अवधि स्केल के अनुसार प्रीमियम को प्रतिधारित किया जाएगा

अवधि	वार्षिक प्रीमियम का %
1 माह से अधिक नहीं	20%
1 माह से अधिक किंतु 2 माह से अधिक नहीं	30%
2 माह से अधिक किंतु 3 माह से अधिक नहीं	40%
3 माह से अधिक किंतु 4 माह से अधिक नहीं	50%
4 माह से अधिक किंतु 5 माह से अधिक नहीं	60%
5 माह से अधिक किंतु 6 माह से अधिक नहीं	70%
6 माह से अधिक किंतु 7 माह से अधिक नहीं	80%
7 माह से अधिक किंतु 8 माह से अधिक नहीं	90%
8 माह से अधिक	पूरा वार्षिक प्रीमियम / दर

6. यदि ऐसी कोई घटना घटती है जिसके कारण इस पालिसी के तहत कोई दावा किया जाता है और इसी देयता की बीमारक्षा करने वाली कोई अन्य बीमा विद्यमान हो तो कंपनी किसी प्रतिपूर्ति, लागत या व्यय के अपने करयोग्य अनुपात से अधिक का भुगतान या अंशदान देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

7. यदि इस पालिसी के तहत अदा किए जाने वाली प्रमात्रा को लेकर कोई विवाद या मतभेद पैदा होता है (अन्यथा स्वीकृत कोई देयता), तो ऐसा अंतर विवाद के पक्षकारों द्वारा लिखित में नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र विवाचक के निर्णय से संबंधित सभी प्रश्नों से स्वतंत्र होगा अथवा यदि पक्षकार विवाचन की पहल करने वाले किसी पक्षकार के 30 दिनों के भीतर एकमात्र विवाचक के निर्णय से सहमत नहीं होते हैं, तो मामले को तीन विवाचकों के पैनल को सुपुर्द किया जाएगा जिसमें दो विवाचक विवाद/ मतभेद वाले प्रत्येक पक्षकारों द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और तीसरा विवाचक उन दो विवाचकों द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जो पीठासीन विवाचक के रूप में कार्य करेंगे और ऐसा विवाचन, विवाचन एवं सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार किया जाएगा।

यह स्पष्ट रूप से और सहमत और समझा जाता है कि यहाँ इसके ऊपर उल्लिखित अनुसार ऐसा कोई भी मतभेद या विवाद विवाचन को सुपुर्द नहीं किया जाएगा यदि कंपनी इस पालिसी के तहत या इसके संबंध में कोई विवाद करती हो या अपनी देयता को स्वीकार नहीं करती हो।

यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट और घोषित किया जाता है कि इस पालिसी पर कोई कार्रवाई करने या मुकदमा करने के किसी अधिकार से पहले यह शर्त होगी कि हानि या क्षति की राशि के लिए ऐसे विवाचक/विवाचकों का अधिनिर्णय पहले प्राप्त किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, एतद्वारा यह भी स्पष्ट रूप से सहमत और घोषित किया जाता है कि यदि कंपनी यहां इसके तहत किए गए किसी दावे के लिए बीमारक्षित व्यक्ति के दावे को स्वीकार नहीं करती है और यदि ऐसा दावा उक्त अस्वीकृत न्यायालय में मुकदमे की विषय-वस्तु की तारीख से बाहर कैलेंडर महीनों के भीतर नहीं किया जाता है तो ऐसे दावे को सभी प्रयोजनार्थ परित्यक्त माना जाएगा और उसके बाद, इस पालिसी के तहत वसूली योग्य नहीं होगा।

8. इस पालिसी के निबंधन, शर्तों और समर्थन जहाँ तक वे बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कार्य या अनुपालन से संबंधित हैं का विधिवत् पालन करना और उक्त प्रस्ताव के कथनों और उत्तरों की सत्यता इस पालिसी के तहत कोई भुगतान करने के लिए कंपनी की किसी देयता के पूर्ववर्ती शर्तों होगी।

9. दोहरा बीमा

जब एक ही वाहन पर समान बीमारक्षा वाली दो पालिसियाँ हों तो एक पालिसी को रद्द किया जाए। जहाँ एक पालिसी दूसरी पालिसी के बाद की तारीख पर शुरू होती है तो बाद की तारीख में शुरू होने वाली पालिसी संबंधित बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा रद्द की जानी चाहिए। यदि एक ही बीमाकर्ता के दो अलग अलग कार्यालयों में एक ही समय वाहन का बीमा कराया जाता है तो दोनों में से बाद की पालिसी को रद्द करते हुए एक पालिसी की 100% प्रीमियम वापसी अनुमत होगी।

बहरहाल, यदि दो अलग अलग बीमाकर्ताओं द्वारा दो पालिसियाँ जारी की जाती हैं तो बाद की तारीख में शुरू होने वाली पालिसी संबंधित बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा रद्द की जानी चाहिए और उस पर प्रीमियम की आनुपातिक वापसी अनुमत होगी।

बहरहाल, बैंक / वित्तीय संस्थान की आवश्यकता के कारण, यदि बीमाकर्ता को लिखित में सूचना दी जाती है तो बाद की तारीख की पालिसी को रद्द करना होगा और उसके बाद उस अवधि जिसके लिए पालिसी रद्द करने से पहले लागू थी, कम अवधि स्केल पर प्रीमियम को रोक रखने के बाद प्रीमियम की वापसी अनुमत होगी।

ऐसी सभी संभावनाओं में, टैरिफ में निर्दिष्ट न्यूनतम प्रीमियम को रोक रखा जाएगा। किसी भी मामले में, ऐसे रद्दीकरण के लिए प्रीमियम की कोई राशि वापस नहीं की जाएगी यदि अवधि के दौरान जब दोनों पालिसियाँ प्रचालन में थीं, परंतु किसी एक पालिसी को रद्द करने से पहले, किसी भी एक पालिसी पर कोई दावा किया गया हो।

10. एकमात्र बीमारक्षित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, यह पालिसी तुरंत कालातीत नहीं होगी बल्कि बीमारक्षित व्यक्ति की मृत्यु की तारीख से तीन महीनों तक या इस पालिसी के समाप्त होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) वैध रहेगी। उक्त अवधि के दौरान, बीमारक्षित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी जिन्हें मोटर वाहन की अभिरक्षा और प्रयोग की अनुमति होगी, उन्हें यह पालिसी उत्तराधिकारी के नाम पर अंतरित करना करवाना होगा या मोटर वाहन के लिए नई बीमा पालिसी प्राप्त करनी होगी। जहाँ ऐसे उत्तराधिकारी इस पालिसी के अंतरण का आवेदन करना चाहते हैं या वाहन के लिए नई पालिसी प्राप्त करते हैं, तो ऐसे उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) को उक्त अवधि के भीतर तदनुसार कंपनी को आवेदन करना होगा। ऐसे सभी आवेदनों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे –

- a. बीमारक्षित व्यक्ति के संबंध में मृत्यु प्रमाण-पत्र
- b. वाहन के मालिकाना हक का प्रमाण
- c. मूल पालिसी।

नो क्लेम बोनस: बीमारक्षित व्यक्ति इस पालिसी के स्वयं क्षति भाग में नो क्लेम बोनस (एनसीबी) के हकदार होंगे, यदि नीचे दिए गए टेबल के अनुसार, पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) में कोई दावा नहीं किया गया था या लंबित नहीं था –

बीमा की अवधि	ओडी प्रीमियम पर एनसीबी का %
पूर्ववर्ती वर्ष	20%
पूर्ववर्ती लगातार दो वर्ष	25%
पूर्ववर्ती लगातार तीन वर्ष	35%
पूर्ववर्ती लगातार चार वर्ष	45%
पूर्ववर्ती लगातार पाँच वर्ष	50%

नो क्लेम बोनस तभी अनुमत होगा जब पालिसी को पिछली पालिसी के समाप्त की तारीख की समाप्ति से 90 दिनों के भीतर नवीकृत किया जाए।

“बहरहाल, देश की सीमाओं में कार्यरत सैन्य व अर्ध सैनिक बलों के मामले में, 90 दिनों की अवधि को पालिसी धारक द्वारा लिखित में यह घोषणा लेते हुए कि वाहन अंतरिम अवधि के दौरान इस्तेमाल में नहीं लाया गया, प्रत्येक वैयक्तिक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए 365 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।”

व्यापक बीमा पालिसी पर एड-ऑन

मूल्यहास कवर: इस पालिसी के निबंधन, छूट, शर्तों और सीमाओं पर अन्यथा निर्भर करते हुए, बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचारार्थ, इस बात पर एतद्वारा सहमति हुई है और समझा गया है कि इस पालिसी के तहत किसी अन्य निबंधन के प्रतिकूल होने पर भी, इस पालिसी के भाग-ख के तहत शामिल किसी जोखिम के कारण, बीमारक्षित वाहन तथा / या उसके किसी पुर्जे को क्षति होने पर पुर्जों के बदलने जाने के मामले में कंपनी द्वारा मूल्यहास के लिए किसी राशि की कटौती नहीं की जाएगी।

विशेष शर्तें :

- a) इस पृष्ठांकन के तहत यह बीमारक्षा पालिसी की अवधि के दौरान किए गए पहले दो (2) दावों पर लागू होगी और उसके बाद किए गए दावे पर पालिसी के निबंधन व शर्तों में उल्लिखित दरों पर मूल्यहास की कटौती की जाएगी।
- b) बीमारक्षित व्यक्ति इस पृष्ठांकन, के तहत देय प्रत्येक दावे के लिए, इस पृष्ठांकन और इस अनुसूची में निर्दिष्ट, बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा लिए गए विकल्प के अनुसार, स्वैच्छिक कटौती योग्य राशि के लिए उत्तरदायी होगा, जो पालिसी के तहत लागू कटौतियों के अतिरिक्त होगी।

लागू अपवर्जन :

कंपनी निम्नलिखित के संबंध में इस पृष्ठांकन के तहत उत्तरदायी नहीं होगी:

- इस पालिसी के तहत कंपनी द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए अनुमोदन न दिया गया कोई हिस्सा / उप-पुर्जा / सहायक उपकरण से संबंधित मूल्यहास
- इस पालिसी के तहत यथा घोषित, बीमारक्षित वाहन की पूरी हानि होने पर (प्रलक्षित कुल हानि या कुल हानि), इस एड-ऑन के तहत नट, बोल्ट, ग्रीस आदि जैसे उपभोज्य सामान की लागत के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- जहाँ ऐसी हानि निर्माता की वारंटी या रीकॉल कैम्पेन के तहत या उसी समय किसी अन्य पैकेज के तहत बीमारक्षित हो
- कोई दावा जो हानि या क्षति होने के 30 दिनों के बाद कंपनी के संज्ञान में लाया जाता है, बशर्ते कि कंपनी अपने विवेक पर, गुणावगुण पर दावे की अधिसूचना में ऐसे विलंब को क्षमा कर सकती है यदि बीमारक्षित व्यक्ति कंपनी को लिखित में ऐसे विलंब का कारण बताए।

इस पालिसी के निबंधनों, छूट, शर्तों तथा सीमाओं पर अन्यथा निर्भर करते हुए।

बीमारक्षित व्यक्ति मूल्यहास कवर के तहत कटौतियों का विकल्प ले सकता है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त डिस्काउंट नीचे के टेबल में दिए गए अनुसार अनुमत होगा –

स्वैच्छिक कटौती	योग्य डिस्काउंट%
INR 1,000	वाहन के ओडी प्रीमियम पर 10% तक अधिकतम INR 500/- तक
INR 2,000	वाहन के ओडी प्रीमियम पर 15% तक, अधिकतम INR 750/- तक
INR 3,000	वाहन के ओडी प्रीमियम पर 20% तक, अधिकतम INR 1000/- तक

उपभोज्य वस्तुओं की बीमारक्षा

इस पालिसी के निबंधनों, छूट, शर्तों तथा सीमाओं पर अन्यथा निर्भर करते हुए, बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के प्रतिफल में, एतद्वारा इस बात पर सहमति होती है और घोषणा की जाती है कि इस पालिसी में उल्लिखित बातों के विपरीत कुछ होने पर भी, कंपनी इस पालिसी के तहत शामिल जोखिम से पैदा होने वाले, बीमारक्षित वाहन तथा / या उसके किसी पुर्जे को क्षति होने पर, उपभोज्य वस्तुओं (जैसा कि नीचे परिभाषित है) के संबंध बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा उपगत व्ययों को भी इस पालिसी में शामिल करती है। इस पृष्ठांकन के प्रयोजनार्थ, उपभोज्य वस्तुओं से आशय ऐसी वस्तुओं या पदार्थों से होगा जिनका विशिष्ट प्रयोग होता है और ऐसे विशिष्ट प्रयोग में उन्हें डाले जाने पर, उनका पूरा उपभोग हो जाता है या उन्हें निरंतर और स्थायी प्रयोग के लिए रखा जाता है। ऐसी उपभोज्य वस्तुओं में शामिल हैं – नट और बोल्ट, पंच, वांशर, ग्रीस, लुब्रिकेंट क्लिप, एसी गैस, बियरिंग, डिस्टिन्ड वाटर, इंजन आयल, आयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ब्रेक आयल आदि।

विशेष शर्तें

यदि बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा किया गया दावा इस पालिसी के भाग ख के तहत देय नहीं हो तो कंपनी इस पृष्ठांकन के तहत कोई दावा स्वीकार नहीं करेगी।

लागू अपवर्जन

कंपनी निम्नलिखित के संबंध में इस पृष्ठांकन के तहत उत्तरदायी नहीं होगी:

- कंपनी द्वारा प्रतिस्थापन के लिए अनुमोदन न किया गया कोई हिस्सा / उप-पुर्जा / सहायक उपकरण से संबंधित उपभोज्य वस्तुएँ।
- किसी प्रकार की परिणामी हानि।
- पालिसी में घोषित किए गए अनुसार बीमारक्षित वाहन की पूरी हानि (प्रलक्षित कुल हानि या कुल हानि) होने पर, इस पृष्ठांकन के तहत कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- यदि हानि को इस पालिसी के तहत या किसी अन्य बीमाकर्ता या निर्माता की वारंटी या रिकॉल कैम्पेन अथवा उसी समय किसी अन्य पैकेज के तहत किसी अन्य प्रकार की बीमा पालिसी के तहत कवर किया गया हो।
- टूट-फूट के कारण हानि या क्षति से संबंधित कोई दावा।
- कोई दावा जो हानि या क्षति होने के 30 दिनों के बाद कंपनी के संज्ञान में लाया जाता है, बशर्ते कि कंपनी अपने विवेक पर, गुणावगुण पर दावे की अधिसूचना में ऐसे विलंब को क्षमा कर सकती है यदि बीमारक्षित व्यक्ति कंपनी को लिखित में ऐसे विलंब का कारण बताए।

इस पालिसी के निबंधनों, छूट, शर्तों तथा सीमाओं पर अन्यथा निर्भर करते हुए।

इंजन की सुरक्षा

इस पालिसी के निबंधनों, छूट, शर्तों तथा सीमाओं पर अन्यथा निर्भर करते हुए, बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के प्रतिफल में, एतद्वारा इस बात पर सहमति होती है और घोषणा की जाती है कि इस पालिसी में उल्लिखित बातों के विपरीत कुछ होने पर भी, कंपनी बीमारक्षित व्यक्ति को इंजन के पुर्जों, विभेदक पुर्जों और गियर बॉक्स के पुर्जों की मरम्मत या प्रतिस्थापन जो अंदर पानी घुसने / लुब्रिकेटिंग आयल के रिसाव के कारण जिससे उक्त पुर्जों की प्रत्यक्ष हानि या क्षति हुई हो, में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करने का एतद्वारा वचन देती है।

विशेष शर्तें

- इस पृष्ठांकन के प्रयोजनार्थ, 'परिणामी क्षति' से आशय ऐसी क्षति से है जो बीमारक्षित वाहन को इस पालिसी के तहत बीमारक्षित जोखिम के कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन उसके प्रत्यक्ष परिणाम के कारण हुई हो, यहाँ इसका पर विशेष रूप से अभिव्यक्ति हानि से है।
- इस पृष्ठांकन के प्रयोजनार्थ, 'इंजन के पुर्जों' से आशय इंजन के सभी आंतरिक लुब्रिकेटेड पुर्जों से है जिनमें पिस्टन, पिन और रिग्स, सभी पुल्ली कैमशाफ्ट, फॉलोवर, कैम बियरिंग, कनेक्टिंग रॉड और बियरिंग, क्रैंकशाफ्ट और मुख्य बियरिंग, डिपस्टिक और ट्यूब, एसेट्रिक शाफ्ट, इंजन हैड और ब्लॉक, इंजन माउंट और कुशन, इंजन टॉक स्ट्रट, फ्लाइव्हील और फ्लाइव्हील रिंग गियर, हार्मोनिक बैलेंसर, इनटेक और एक्झॉस्ट मेनीफोल्ड, आयल पैन, आयल पम्प, पुश रॉड, वाल्व, कमाना, गाइड, सीट और लिफ्टर, रॉकर आर्म, शाफ्ट और बुशिंग, टाइमिंग कवर, टाइमिंग गियर, चेन, बेल्ट टेन्शनर, रिटेनर, वैक्यूम पम्प, वाल्व कवर और वाटर पम्प, फ्यूल इंजेक्शन पम्प (केवल डीज़ल इंजनों के लिए) और फ्यूल पीटर (केवल डीज़ल इंजनों के लिए) शामिल होंगे।
- इस पृष्ठांकन के प्रयोजनार्थ, 'विभेदक पुर्जों' से आशय डिफरेंशियल हाउज़िंग के अंदर के सभी आंतरिक पुर्जों से है जिनमें एक्सल शाफ्ट, कॉन्सटेंट वेलेसिटी ज्वाइंट, बियरिंग, फाइनल ड्राइव हाउज़िंग, फोर व्हील ड्राइव हब और बियरिंग, रिटेनर, ट्रांसैक्सल हाउज़िंग और यूनिवर्सल हाउज़िंग और यूनिवर्सल ज्वाइंट, ड्राइव शाफ्ट, हब बियरिंग और सपोर्ट शामिल होंगे।
- इस पृष्ठांकन के प्रयोजनार्थ, 'गियर बॉक्स के पुर्जों' से आशय ट्रांसमिशन केस के अंदर के सभी आंतरिक पुर्जों से है जिनमें कूलर, कूलर लाइन, फिल्टर ट्यूब और डिपस्टिक, अंदरूनी रिसाव, माउंट, आयल पैन, टॉक कन्वर्टर, ट्रांसफर केस, ट्रांसमिशन और ट्रांसफर केस, ट्रांसमिशन पार्क बेस असेंबली, वैक्यूम मॉड्यूलैटर, गियर शाफ्ट और गियर बॉक्स शामिल होंगे।
- दुर्घटना होने पर, इस पृष्ठांकन के तहत भुगतान तभी किया जाएगा जब कंपनी को इंजन के पुर्जों तथा / या गियर बॉक्स के पुर्जों तथा / या प्रत्यक्ष रूप से आयल रिसाव के कारक विभेदक पुर्जों को इनकी क्षति होने का साक्ष्य प्रदान किया जाता है।
- जहाँ इस पालिसी की भाग 1 के तहत दावा देय नहीं होगा, वहाँ कंपनी इस पृष्ठांकन के तहत कोई दावा स्वीकार नहीं करेगी।

लागू अपवर्जन

कंपनी निम्नलिखित के संबंध में इस पृष्ठांकन के तहत उत्तरदायी नहीं होगी:

- पालिसी में घोषित किए गए अनुसार बीमारक्षित वाहन की पूरी हानि (प्रलक्षित कुल हानि या कुल हानि) होने पर, इस पृष्ठांकन के तहत कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- उपभोज्य वस्तुओं जैसे नट, बोल्ट, ग्री, आदि की लागत।
- यदि हानि को इस पालिसी के तहत या किसी अन्य बीमाकर्ता या निर्माता की वारंटी या रिकॉल कैम्पेन अथवा उसी समय किसी अन्य पैकेज के तहत किसी अन्य प्रकार की बीमा पालिसी के तहत कवर किया गया हो।
- टूट-फूट के कारण हानि या क्षति से संबंधित कोई दावा।
- कोई दावा जो हानि या क्षति होने के 30 दिनों के बाद कंपनी के संज्ञान में लाया जाता है, बशर्ते कि कंपनी अपने विवेक पर, गुणावगुण पर दावे की अधिसूचना में ऐसे विलंब को क्षमा कर सकती है यदि बीमारक्षित व्यक्ति कंपनी को लिखित में ऐसे विलंब का कारण बताए।

इस पालिसी के निबंधनों, छूट, शर्तों तथा सीमाओं पर अन्यथा निर्भर करते हुए।

बीजक की वापसी

इस पालिसी के निबंधनों, छूट, शर्तों तथा सीमाओं पर अन्यथा निर्भर करते हुए, बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के प्रतिफल में, एतद्वारा इस बात पर सहमति होती है और घोषणा की जाती है कि इस पालिसी में उल्लिखित बातों के विपरीत कुछ होने पर भी, कंपनी एतद्वारा इस पालिसी के तहत यथा परिभाषित किसी कुल हानि (चोरी सहित) / प्रलक्षित कुल हानि होने पर क्रय के बीजक में निर्दिष्टानुसार, बीमारक्षित वाहन के घोषित मूल्य (आई.डी.वी.) और बीमारक्षित वाहन के क्रय बीजक मूल्य (जैसा कि नीचे बताया गया है) के बीच के अंतर की राशि अदा करने का वचन देती है।

विशेष शर्तें

- इस पृष्ठांकन के प्रयोजनार्थ, क्रय बीजक मूल्य से आशय बीमारक्षित वाहन के एक्स-शोरूम मूल्य से होगा जिसमें कारखाने और कार के डीलर के उपकरणों का मूल्य शामिल होगा जो खरीद के लगाए गए थे। क्रय बीजक मूल्य में स्टैंडर्ड प्राइवेट कार पैकेज (एड-ऑन कवर या पृष्ठांकनों के बिना), बीमारक्षित वाहन के पंजीकरण के लिए अदा की गई राशि, लागू सड़क कर और चुंगी भी शामिल होंगे।
- यदि क्रय बीजक की प्रति उपलब्ध न हो तो बीमारक्षित वाहन की क्रय बीजक कीमत का परिकलन इस प्रकार किया जाएगा:

क्रय बीजक मूल्य = आईडीवी / (1 - मूल्यहास %, बीमारक्षित वाहन की आयु के अनुसार नीचे बताए गए अनुसार)

- c) जहाँ इस पालिसी की भाग 1 के तहत दावा देय नहीं होगा, वहाँ कंपनी इस पृष्ठांकन के तहत कोई दावा स्वीकार नहीं करेगी।+

वाहन की आयु	मूल्यहास का %
6 महीनों से अधिक नहीं	5%
6 महीनों से अधिक परंतु 1 वर्ष से अधिक नहीं	15%
1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्षों से अधिक नहीं	20%
2 वर्षों से अधिक परंतु 3 वर्षों से अधिक नहीं	30%
3 वर्षों से अधिक परंतु 4 वर्षों से अधिक नहीं	40%
4 वर्षों से अधिक परंतु 5 वर्षों से अधिक नहीं	50%

लागू अपवर्जन

कंपनी निम्नलिखित के संबंध में इस पृष्ठांकन के तहत उत्तरदायी नहीं होगी:

- यदि हानि को इस पालिसी के तहत या किसी अन्य बीमाकर्ता या निर्माता की वारंटी या रिकॉल कैम्पेन अथवा उसी समय किसी अन्य पैकेज के तहत किसी अन्य प्रकार की बीमा पालिसी के तहत कवर किया गया हो।
- सहायक पुर्जे जो इस पालिसी के तहत अतिरिक्त रूप से बीमारक्षित नहीं हैं, उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
- कोई दावा जो हानि या क्षति होने के 30 दिनों के बाद कंपनी के संज्ञान में लाया जाता है, बशर्ते कि कंपनी अपने विवेक पर, गुणावगुण पर दावे की अधिसूचना में ऐसे विलंब को क्षमा कर सकती है यदि बीमारक्षित व्यक्ति कंपनी को लिखित में ऐसे विलंब का कारण बताए।

इस पालिसी के निबंधनों, छूट, शर्तों तथा सीमाओं पर अन्यथा निर्भर करते हुए।

सड़क पर सहायता

इस पालिसी के निबंधनों, छूट, शर्तों तथा सीमाओं पर अन्यथा निर्भर करते हुए, बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के प्रतिफल में, इस बात पर एतद्वारा सहमति की जाती है और घोषित किया जाता है कि इस पालिसी के किसी निबंधन के प्रतिकूल होने पर भी, कंपनी बीमारक्षित व्यक्ति के अनुरोध पर उसे अपने नेटवर्क के गैराजों या सेवा प्रदाताओं द्वारा पालिसी की अवधि के दौरान निम्नलिखित आपात सहायता सेवाएँ प्रदान करने का एतद्वारा वचन देती है बशर्ते कि (i) सेवाएँ ऐसे क्षेत्र में प्रदान करने का अनुरोध हो जहाँ कंपनी के नेटवर्क के गैराज या उसके सेवा प्रदाताओं का नेटवर्क मौजूद हो और (ii) कंपनी इस पालिसी अवधि के दौरान केवल चार आपात सहायता सेवाएँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार

- दुर्घटना या वाहन खराब होने पर ढोना- यदि बीमारक्षित वाहन को चलाकर नहीं ले जाया जा सकता है या उसे सड़क पर चलाने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है तो कंपनी वाहन के खराब होने / दुर्घटना के स्थान से 50 कि.मी. की परिधि के भीतर निकटतम गैराज तक ढोकर ले जाने की व्यवस्था करेगी बशर्ते कि उक्त सीमा से अधिक दूरी तक बीमारक्षित वाहन को ढोकर ले जाने की खर्च बीमारक्षित व्यक्ति वहन करे।
- बैटरी जम्प स्टार्ट - यदि बैटरी के खराब होने के कारण बीमारक्षित वाहन को चलाकर नहीं ले जाया जा सकता है, तो कंपनी बीमारक्षित वाहन को जम्प स्टार्ट करने के लिए वाहन के तकनीशियन को भिजवाने की व्यवस्था करेगी बशर्ते कि बैटरी को चार्ज करने / बदलने की लागत बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा वहन की जाए और कंपनी इस पृष्ठांकन के तहत बैटरी के जम्प स्टार्ट में सहायता करने के लिए सभी मजदूरी और परिवहन लागत के लिए ही जिम्मेदार होगी।
- ईंधन की व्यवस्था/आपूर्ति- यदि बीमारक्षित वाहन को ईंधन टैंक के खाली होने के कारण चलाकर नहीं ले जा जा सकता है तो कंपनी वाहन के खड़े होने के स्थान पर पाँच लीटर ईंधन तक की आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगी बशर्ते कि ईंधन की वास्तविक लागत बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा वहन किया जाए और कंपनी इस पृष्ठांकन के तहत सभी मजदूरी और परिवहन लागत के लिए ही जिम्मेदार होगी।
- ईंधन टैंक का खाली होना- यदि बीमारक्षित वाहन के ईंधन टैंक में असंगत ईंधन भरा गया हो तो कंपनी उचित तकनीशियनों की मदद से ईंधन टैंक को खाली करवाने की व्यवस्था करेगी और यदि आवश्यक हो तो ईंधन टैंक खाली करवाने के लिए उसे नज़दीकी गैराज तक ढोकर ले जाने की व्यवस्था करेगी, बशर्ते कि वाहन को ढोकर ले जाने के सभी खर्च बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा वहन किए जाएँ।
- चपटे टायर - यदि बीमारक्षित वाहन को चपटे टायरों के कारण चलाकर नहीं ले जा जा सकता है तो कंपनी बीमारक्षित व्यक्ति की निम्न मदद करेगी:
 - खराब होने के स्थल से वाहन के अतिरिक्त स्टेपनी टायर के साथ बदलने के लिए वाहन के तकनीशियन को भेजने की व्यवस्था करना ; या यदि खराब होने के स्थल में मरम्मत करना संभव न हो तो
 - चपटे टायर को मरम्मत की नज़दीकी जगह ले जाने की व्यवस्था करना और टायर को वापस वाहन की जगह तक सुपुर्द करना और बीमारक्षित वाहन में लगाना। बशर्ते कि सामग्री / सहायक पुर्जों तथा अन्य कोई आकस्मिक लागत,

यदि मरम्मत करते समय आवश्यक हो, के व्यय बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा वहन किए जाएँगे और कंपनी इस पृष्ठांकन के तहत ऊपर के (a) और (b) से संबंधित श्रम और परिवहन की लागत पर होने वाले व्यय के लिए ही उत्तरदायी होगी।

- फ़ोन पर ब्रेकडाउन सपोर्ट - बीमारक्षित वाहन या उसके किसी हिस्से में छोटे मेकेनिकल दोष / गड़बड़ी / खराबी होने पर, कंपनी अपने नेटवर्क सेवा प्रदाताओं द्वारा बीमारक्षित व्यक्ति को टेलीफोन पर सहायता प्रदान करेगी ताकि उसे बीमारक्षित वाहन के लिए ऐसे मेकेनिकल दोष / गड़बड़ी / खराबी के लिए समाधान मिल सके।
- टैक्सी के हितलाभ - यदि बीमारक्षित वाहन को दुर्घटना या खराबी के कारण चलाकर ले जाना संभव न हो तो, कंपनी बीमारक्षित वाहन में विद्यमान लोगों के लिए 50 किलोमीटर की दूरी तक निशुल्क परिवहन की व्यवस्था करेगी बशर्ते कि -
 - घटना पालिसी जारी करने के समय बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा घोषित किए गए आवास के स्थान से 50 कि.मी. दूर घटित हो।
 - ऊपर बताए गए अनुसार निर्धारित दूरी से अधिक की यात्रा पर आए खर्च बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा वहन किए जाएँगे।
 - इस पृष्ठांकन के तहत बीमारक्षित वाहन में मौजूद वास्तविक संख्या के लोगों तक या बीमारक्षित वाहन की अधिकतम बैठने की क्षमता तक सीमित रहेगी बशर्ते कि यह ऊपर उल्लिखित सीमा में हो।
- चाबियों की व्यवस्था - यदि बीमारक्षित व्यक्ति बीमारक्षित वाहन की चाबियाँ खो देते हैं तो कंपनी बीमारक्षित वाहन की जगह तक बीमारक्षित वाहन की अतिरिक्त चाबियाँ पहुँचाने की व्यवस्था करेगी। वैकल्पिक रूप से, कंपनी बीमारक्षित वाहन की जगह पर वाहन के तकनीशियन की मदद से उसे खोलने की सेवा प्रदान करेगी बशर्ते कि कंपनी इस पृष्ठांकन के तहत केवल मजदूरी और परिवहन की लागत के लिए उत्तरदायी होगी और बीमारक्षित व्यक्ति को ऐसी सेवाएँ प्राप्त करने से पहले बीमारक्षित वाहन के अपने स्वामित्व की पहचान का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, इस बात पर एतद्वारा सहमति और समझौता किया जाता है कि यह सेवा 50 कि.मी. की दूरी के भीतर ही प्रदान की जाएगी।
- संदेश रिले - यदि बीमारक्षित वाहन किसी दुर्घटना या खराबी के कारण चलाकर ले जाने योग्य न हो तो कंपनी बीमारक्षित व्यक्ति के अनुरोध पर बीमारक्षित व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों को उपलब्ध संचार माध्यमों से तत्काल संदेश भेजने की व्यवस्था करेगी।
- छोटी मरम्मत - यदि बीमारक्षित वाहन छोटे-मोटे मेकेनिकल या वैद्युत गड़बड़ी के कारण चलाकर ले जाने योग्य न हो तो कंपनी ऐसी मरम्मत (जैसा नीचे बताया गया है) करवाने के लिए बीमारक्षित वाहन के स्थल पर तकनीशियन को भिजवाने की व्यवस्था करेगी, बशर्ते कि इस पृष्ठांकन के तहत मजदूरी और परिवहन की लागत के लिए ही उत्तरदायी होगी।

इस पृष्ठांकन के प्रयोजनार्थ, छोटी मरम्मत का आशय ऐसी मरम्मतों से है जो वाहन के खराब होने / दुर्घटना पर किए जा सकते हैं, जिनके लिए किसी पुर्जे की आवश्यकता नहीं होती है और जिसमें 45 मिनट से कम का श्रम समय लगता हो।

लागू अपवर्जन

कंपनी निम्नलिखित के संबंध में इस पृष्ठांकन के तहत उत्तरदायी नहीं होगी:

- ऊपर उल्लिखित सेवाएँ भूकंप, युद्ध, आक्रमण, विद्रोह, आंदोलन, दंगे, नागरी अशांति, नागरी युद्ध, विपरीत मौसमी परिस्थितियाँ, आंतकवादी कार्य, नाभिकीय विखंडन, हड़ताल, सरकारी/सरकारी एजेंसियों/न्यायिक/अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के कार्य के दौरान प्रदान करना।
- रेसिंग, रैली, मोटर-स्पोर्ट के उद्देश्य से प्रयोग किए जा रहे या लागू नियमों और विनियमों के अनुसार प्रयोग / चलाए न जा रहे बीमारक्षित वाहन के संबंध में किए गए दावे।
- बीमारक्षित वाहन के संबंध में किया गया दावा जिसमें वाहन को नज़दीकी गैराज / वर्कशॉप में सुरक्षित ढंग से ले जाया जा सकता था।
- चोरी के कारण किए गए दावे।
- किसी प्रकार की परिणामी हानि।
- यदि हानि को इस पालिसी के तहत या किसी अन्य बीमाकर्ता या निर्माता की वारंटी या रिकॉल कैम्पेन अथवा उसी समय किसी अन्य पैकेज के तहत किसी अन्य प्रकार की बीमा पालिसी के तहत कवर किया गया हो।
- वाहन के पुर्जों / उपभोज्य वस्तुओं की आपूर्ति या उन्हें बदलने के लिए किए गए खर्च।
- बीमारक्षित वाहन को उसके मालिक / निर्माता के मैनुअल में की गई सिफारिशों के विरुद्ध प्रयुक्त / चलाने के कारण हुई हानि / क्षति।
- दावे जिनके संबंध में कंपनी की पूर्व सहमति के बिना सेवाएँ प्राप्त की गई हों।

शिकायत निवारण

किसी प्रकार के प्रश्न या शिकायत के निवारण के लिए, बीमारक्षित व्यक्ति कंपनी की संबंधित शाखा से संपर्क कर सकते हैं या टॉल फ्री नंबर **1800 266 4545** पर कॉल कर सकते हैं या carekotak.com पर ईमेल कर सकते हैं।

यदि बीमारक्षित व्यक्ति दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो वे grievanceofficerkotak.com पर कंपनी के शिकायत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

यदि बीमारक्षित व्यक्ति शिकायत अधिकारी द्वारा दिए गए समाधान से भी संतुष्ट न हों तो वे seniorgrievanceofficerkotak.com / chiefgrievanceofficerkotak.com पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

बहरहाल, यदि हमारे द्वारा दिया गया समाधान आपको संतोषजनक नहीं लगता हो तो आप एकीकृत शिकायत प्रबंधन अनुभाग (आईजीएमएस) या आईआरडीए शिकायत कॉल सेंटर (आईजीसीसी) से उनके टॉल फ्री नं. **152555** पर संपर्क करते हुए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से संपर्क कर सकते हैं।

अनुबंध 1: बीमा लोकपाल का विवरण

कार्यालय विवरण	कार्यालय संघ राज्य क्षेत्र, जिला का न्यायक्षेत्र
अहमदाबाद: बीमा लोकपाल का कार्यालय, दूसरी मंजिल, अम्बिका हाउस, सीयू के नजदीक। शाह कॉलेज, 5, नवयुग कॉलोनी, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 014. फोन: 079-27546150/27546139, फैक्स: 079-27546142. ईमेल: bimalokpal.ahmedabad@ecoi.co.in	गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीयू
बेंगलुरु: बीमा लोकपाल का कार्यालय, जीवन सौधा भवन, पीआईडी संख्या 57-27-एन - 19 भूतल, 1 9 / 1 9, 24 वें मुख्य मार्ग, जेपी नगर, प्रथम चरण, बेंगलुरु - 560 078. फोन: 080-2652048/26652049. ईमेल: bimalokpal.bengaluru@ecoi.co.in	कर्नाटक
भोपाल: बीमा लोकपाल का कार्यालय, जनक विहार परिसर, दूसरा तल, 6, मालवीय नगर, विपक्ष एयरटेल, न्यू मार्केट के पास, भोपाल (एम.पी.) - 462 003 फोन: 0755-2769201 / 2769202, फैक्स: 0755-276 9 203 ईमेल: bimalokpal.bhopalecoi.co.in	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
भुवनेश्वर: बीमा लोकपाल का कार्यालय, 62, वन पार्क, भुवनेश्वर - 751 00 9. फोन: 0674 - 25 9 6461/25 9 6455, फैक्स: 0674 - 25 9 6429, ईमेल: bimalokpal.bhubaneswar@ecoi.co.in	उड़ीसा
चंडीगढ़: बीमा लोकपाल का कार्यालय, एससीओ। नहीं। 101, 102 और 103, दूसरा तल, बत्रा भवन, सेक्टर 17 - डी, चंडीगढ़ - 160 017 फोन: 0172 - 2706196/2706468, फैक्स: 0172 - 2708274 ईमेल: bimalokpal.chandigarhecoi.co.in	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़.
चेन्नई: बीमा लोकपाल का कार्यालय, फालिमा अख्तर कोर्ट, चौथा मजला, 453, अन्ना सलाई, टेनमपेट, चेन्नई - 600 018. टेलीफोन। 044-24363668 / 24335284, फैक्स: 044-24333664, ईमेल: bimalokpal.chennaigbic.co.in	तमिलनाडु, पांडिचेरी टाउन और कराईकल (जो पांडिचेरी का हिस्सा है)
नई दिल्ली: बीमा लोकपाल का कार्यालय, 2/2 ए, यूनिवर्सल इंडियन बिजनेस, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110 002। फोन: 011 - 23239633/23237532 फैक्स: 011 - 23230858 ईमेल: bimalokpal.delhiyecoi.co.in	दिल्ली.
गुवाहाटी: बीमा लोकपाल का कार्यालय, जीवन निवास, 5 वीं मंजिल, स। पाबाजार ओवर ब्रिज, एस.एस. रोड, गुवाहाटी - 781001 (आसाम) फोन: 0361 - 2132204/2132205, फैक्स: 0361 - 2732 937 ईमेल: bimalokpal.guwahati@ecoi.co.in	असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा
हैदराबाद: बीमा लोकपाल का कार्यालय, 6-2-46, पहला तल, मोईन कोर्ट, लेन ओप सलीम फंक्शन पैलेस, ए सी गार्ड्स, लकडी-का-पूल, हैदराबाद - 500 004. फोन: 040 - 65504123/23312122, फैक्स: 040 - 2337659 9 ईमेल: bimalokpal.hyderabadecoi.co.in	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानम और का हिस्सा पांडिचेरी क्षेत्र
जयपुर: बीमा लोकपाल का कार्यालय, जीवन निधि- द्वितीय भवन, जीआर। मंजिल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर - 302 005. फोन: 0141 - 2740363. ईमेल: bimalokpal.jaipurcoi.co.in	राजस्थान.
एर्नाकुलम: बीमा लोकपाल का कार्यालय, दूसरा मंजिल, पुलिनाट भवन, ऑफ। कोचीन शिपयार्ड, एमजी रोड, एर्नाकुलम - 682 015. फोन: - 0484-235875 9/2359338, फैक्स: - 0484-2359336, ईमेल: bimalokpal.ernakulumecoi.co.in	केरल, लक्षद्वीप, माहे- पांडिचेरी का एक हिस्सा
कोलकाता: बीमा लोकपाल का कार्यालय, हिंदुस्तान बिजनेस। एनेकसी, चौथा मंजिल, 4, सीआर। एवेन्यू, कोलकाता - 700 072. फोन: 033 - 2212433 9/22124340, फैक्स: 033 - 22124341, ईमेल: bimalokpal.kolkataecoi.co.in	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप.
लखनऊ: बीमा लोकपाल का कार्यालय, 6 वीं मंजिल, लाइफ हाउस, चरण- II, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ - 226 001। फोन: 0522 - 2231330/2231331 फैक्स: 0522 - 2231310 ई-मेल: bimalokpal.lucknowecoi.co.in	उत्तर प्रदेश के जिले: लातपुर, झांशी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनबागढ़, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, जालौन, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर, बहरिच, बाराबंकी, रायबरेली, सवस्ती, गोंडा, फैजाबाद, अमेठी, कौशंबी, बलरामपुर, बस्ती, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, महाराजगंज, संताकिरिनगर, आजमगढ़, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मौ, गाजीपुर, चांदौली, बलिया, सिद्धार्थनगर.
मुंबई: बीमा लोकपाल का कार्यालय, तीसरा तल, जीवन सेवा अनुलग्नक, एस। वी। रोड, सांताक्रूज़ (डब्ल्यू), मुंबई - 400 054 फोन: 022-26106552/26106960 फैक्स: 022 - 26106052। ईमेल: bimalokpal.mumbaiecoi.co.in	गोवा, मुंबई महानगर क्षेत्र नवी मुंबई और ठाणे को छोड़कर
नोएडा: बीमा लोकपाल का कार्यालय, भगवान सहाय पैलेस, चौथा मजला, मुख्य सड़क, नई बन्स, सेक्टर - 15, जिला: गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, यू.पी. - 201301 फोन: 0120-2514250 / 2514252/2514253 ईमेल: bimalokpal.noida@ecoi.co.in	उत्तरांचल राज्य और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले: आगरा, अलीगढ़, बागपत, बरेली, बिजनौर, बदायूं, बंडशेहर, इटाहा, कानूज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मोरदाबाद, मुजफ्फरनगर, ओरिया, पीलीभीत, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजगढ़, गौतमबोधनगर, गाजियाबाद, हरदोई, शाहजहापुर, हापुर, शामली, रामपुर, काशगंज, संभल, अमरोहा, हाथरस, काशीरामनगर, सहारनपुर
पटना: बीमा लोकपाल का कार्यालय, प्रथम तल, कल्पना आर्केड बिजनेस, बाजार समिति रोड, बहादुरपुर, पटना - 800 006. फोन: 0612-2680 9 52. ईमेल: bimalokpal.patna@ecoi.co.in	बिहार और झारखंड
पुणे: बीमा लोकपाल का कार्यालय, जीवन दर्शन भवन, तीसरी मंजिल, C.T.S. No.s. 1 9 55 से 1 9 8, एन.सी. केलकर रोड, नारायण पेठ, पुणे - 411 030. फोन: 020 - 41312555 ईमेल: bimalokpal.puneecoi.co.in	महाराष्ट्र, नवी मुंबई और ठाणे के क्षेत्र मुंबई महानगर क्षेत्र को छोड़कर

आप अपनी शिकायत दूर करने के लिए निहीत न्यायक्षेत्र के तहत बीमा लोकायुक्त से भी संपर्क कर सकते हैं। बीमा लोकायुक्त के विवरण संलग्न ख में दिए गए हैं।

बीमा लोकायुक्त / संपूर्ण शिकायत निवारण प्रक्रिया के विवरण कंपनी की वेबसाइट www.kotakgeneralinsurance.com पर भी उपलब्ध हैं।

बीमा लोकायुक्त के अद्यतन विवरण एक्जिक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडियर्स की वेबसाइट www.gbic.co.in/ombudsman.html पर भी उपलब्ध हैं।

भारत मोटर टैरिफ – पृष्ठांकन

आई.एम.टी. 1. भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार

₹..... के एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में इस पॉलिसी के विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि इस पॉलिसी में लागू भौगोलिक क्षेत्र में ... / ... / से ... / ... / तक (दोनों दिन शामिल) शामिल करने के लिए समझा जाएगा।*

आगे एतद्वारा यह भी समझा गया और सहमत है कि ऐसे भौगोलिक विस्तार में बीमांकित वाहन की क्षति/उसमें रहनेवालों को चोट/विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र में बीमांकित वाहन को दोने वाली उद्देश्य के लिए समुद्री/वायुमार्ग की यात्रा के दौरान बीमांकित वाहन के संबंध में तीसरी पार्टी देयता के लिए बीमा में कवर शामिल नहीं होगा।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी : *नेपाल/श्रीलंका/मालदीव/भूटान/पाकिस्तान/बांग्लादेश के मामले में शामिल किया जाए।

आई.एम.टी. 2. सहमत मूल्य खंड

(केवल विंटेज कारों के लिए लागू)

एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि इसके अधीन बीमांकित विंटेज कार के जोखिम के कारण बीमा के खिलाफ सकल हानि/संधारित कुल हानि के मामले में, देय राशि वाहन के बीमांकित घोषित मूल्य (आईडीवी) के रूप में पॉलिसी में उल्लिखित राशि में से किसी मूल्यहास हेतु बिना कटौती की होगी।

आगे एतद्वारा यह भी समझा गया और सहमत है कि वाहन को आंशिक क्षति के मामले में, प्रतिस्थापित पुर्जों पर मूल्यहास इस प्रकार होगा, जैसा पॉलिसी की धारा ख में उल्लेख किया गया है।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

आई.एम.टी. 3. ब्याज का स्थानांतरण

एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि दिनांक... / ... / पॉलिसी को को स्थानांतरित कर दिया जाता है और ले जाने के में निहित या के व्यवसाय या पेशे में लगे हुए हैं, जो बीमाकर्ता होने के लिए समझा जाएगा और जिसका दिनांकित प्रस्ताव और घोषणा को इस अनुबंध का आधार होना शामिल करके इसके आधार पर होना माना जाएगा।

बशर्त हमेशा कोई भी दावा के बोनस के उद्देश्य के लिए, कोई भी अवधि जिसके दौरान इस पॉलिसी में ब्याज किसी भी पिछले बीमित व्यक्ति में निहित नहीं किया गया है, उसके लाभ के लिए जमा होगा।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

आई.एम.टी. 4. वाहन में परिवर्तन

एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि / / से पंजीकरण सं..... के वाहन को पॉलिसी की अनुसूची से हटाया जाता है तथा उसके बदले में नीचे उल्लिखित विवरण के साथ वाहन को इसमें शामिल माना जाता है –

पंजीकरण सं.	इंजन/चैसिस नं.	मेक	बॉडी का प्रकार	सी.सी.	निर्माण का वर्ष	ड्राइवर सहित बैठने की क्षमता	आईडीवी

इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, ₹..... के अतिरिक्त/वापसी प्रीमियम को बीमाधारक को प्रभारित/अनुमत्त किया जाता है।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

आई.एम.टी. 5. किराया खरीद समझौता

एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि (आगे मालिक के रूप में वर्णित होगा) बीमांकित वाहन के स्वामी हैं और कि बीमांकित वाहन के एक हिस्से पर मालिक और दूसरी पर बीमाधारक के बीच किए गए किराया खरीद समझौता पर निर्भर है और आगे एतद्वारा यह भी समझा गया और सहमत है कि मालिक किसी प्रकार के भुगतान के लिए दिलचस्पी होगा, लेकिन इस पृष्ठांकन के लिए इस पॉलिसी के तहत बीमाकर्ता को देय होगा, जो बीमांकित वाहन को क्षति या नुकसान के संबंध में होगा, जो कि मरम्मत द्वारा ठीक नहीं बनाया जा सकता और/अथवा पुर्जों को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता और तब तक ऐसी धनराशि को मालिक को भुगतान किया जाएगा, जबतक बीमांकित वाहन के लिए वह मालिक है, और उनकी रसीद ऐसे नुकसान या क्षति के संबंध में बीमाकर्ता को पूर्ण और अंतिम निर्वहन होगी।

आगे एतद्वारा यह भी समझा गया और सहमत है कि इस पॉलिसी के तहत मालिक-चालक के लिए दिए गए व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के उद्देश्य के लिए, इस कवर से संबंधित पॉलिसी के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, इस पॉलिसी में बीमांकित व्यक्ति को मालिक-चालक के रूप में समझा जाना जारी रहेगा।

इस पृष्ठांकन द्वारा स्पष्ट रूप में यह सहमत है कि इस पॉलिसी के संबंध में या उसके अधीन बीमाधारक या बीमाकर्ता के अधिकारों या दायित्वों को संशोधन या प्रभाव नहीं होगा।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

आई.एम.टी. 6. पट्टा-करार

एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि (आगे पट्टादाता के रूप में वर्णित होगा) बीमांकित वाहन के स्वामी हैं और कि बीमांकित वाहन के एक हिस्से पर पट्टादाता और दूसरी पर बीमाधारक के बीच किए गए पट्टा-करार पर निर्भर है, और आगे एतद्वारा यह भी समझा गया और सहमत है कि पट्टादाता किसी प्रकार के भुगतान के लिए दिलचस्पी होगा, लेकिन इस पृष्ठांकन के लिए इस पॉलिसी के तहत बीमाकर्ता को देय होगा, जो बीमांकित वाहन को क्षति या नुकसान के संबंध में होगा, जो कि मरम्मत द्वारा ठीक नहीं बनाया जा सकता और/अथवा पुर्जों को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता और तब तक ऐसी धनराशि को पट्टादाता को भुगतान किया जाएगा, जबतक बीमांकित वाहन के लिए वह पट्टादाता है, और उनकी रसीद ऐसे नुकसान या क्षति के संबंध में बीमाकर्ता को पूर्ण और अंतिम निर्वहन होगी।

इस पट्टा-करार के विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि यह पॉलिसी मुख्य पार्टी के रूप में के नाम जारी की जाती है, न कि एक एजेंट, या ट्रस्टी और इसमें जो कुछ भी शामिल है, इस पॉलिसी के तहत उनके अधिकारों के लाभ और दायों के लिए उस बीमाधारक को एक एजेंट या पट्टादाता के ट्रस्टी या बट्टेदाता को बीमाधारक द्वारा सौंपा गया एक स्वत्वार्पण (चाहे कानूनी या न्यायसंगत हो) के रूप में परिभाषित किया जाएगा और और इसके अलावा यहां कुछ भी नहीं होगा जो कि मालिक/कम से कम किसी भी तरह के दायित्वों के कथित उल्लंघन के लिए किसी भी क्षमता में बीमाकर्ता को मुकदमा करने के लिए किसी भी अधिकार का निर्माण या निपटा जाएगा।

आगे एतद्वारा यह भी समझा गया और सहमत है कि इस पॉलिसी के तहत मालिक-चालक के लिए दिए गए व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के उद्देश्य के लिए, इस कवर से संबंधित पॉलिसी के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, इस पॉलिसी में बीमांकित व्यक्ति को मालिक-चालक के रूप में समझा जाना जारी रहेगा।

इस पृष्ठांकन द्वारा स्पष्ट रूप में यह सहमत है कि इस पॉलिसी के संबंध में या उसके अधीन बीमाधारक या बीमाकर्ता के अधिकारों या दायित्वों को संशोधन या प्रभाव नहीं होगा।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

आई.एम.टी. 7. दृष्टि बंधक समझौते के अधीन वाहन

एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि बीमांकित वाहन को (आगे गिरवीदार के रूप में वर्णित होगा) के साथ गिरवी/दृष्टिबंधक रखा जाता है और आगे एतद्वारा यह भी समझा गया और सहमत है कि गिरवीदार किसी प्रकार के भुगतान के लिए दिलचस्पी होगा, लेकिन इस पृष्ठांकन के लिए इस पॉलिसी के तहत बीमाकर्ता को देय होगा, जो बीमांकित वाहन को क्षति या नुकसान के संबंध में होगा, जो कि मरम्मत द्वारा ठीक नहीं बनाया जा सकता और/अथवा पुर्जों को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता और तब तक ऐसी धनराशि को गिरवीदार को भुगतान किया जाएगा, जबतक बीमांकित वाहन के लिए वह गिरवीदार है, और उनकी रसीद ऐसे नुकसान या क्षति के संबंध में बीमाकर्ता को पूर्ण और अंतिम निर्वहन होगी।

आगे एतद्वारा यह भी समझा गया और सहमत है कि इस पॉलिसी के तहत मालिक-चालक के लिए दिए गए व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के उद्देश्य के लिए, इस कवर से संबंधित पॉलिसी के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, इस पॉलिसी में बीमांकित व्यक्ति को मालिक-चालक के रूप में समझा जाना जारी रहेगा।

इस पृष्ठांकन द्वारा स्पष्ट रूप में यह सहमत है कि इस पॉलिसी या उससे संबन्धित कोई शर्त, प्रावधान या निबंधन के संबंध में या उसके अधीन बीमाधारक या बीमाकर्ता के अधिकारों या दायित्वों को संशोधन या प्रभाव नहीं होगा।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

आई.एम.टी. 8. मान्यता प्राप्त ऑटोमोबाइल संगठनों की सदस्यता के लिए छूट

एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि बीमाधारक की सदस्यता **के विचार में बीमाधारक को / को ऋ.....* की प्रीमियम में छूट दी जाती है।

आगे एतद्वारा यह भी समझा गया और सहमत है कि अगर बीमा पॉलिसी की वैधता के दौरान उपर्युक्त एसोसिएशन की सदस्यता को समाप्त करता है, तो तदनुसार बीमाधारक तुरंत बीमाकर्ता को सूचित करेगा और बीमा कवरेज की अस्वीकार्य अवधि के लिए छूट की एक आनुपातिक राशि की वापसी के लिए इस खाते में अनुमति दी जाएगी।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी :

1. *पूर्ण पॉलिसी अवधि के लिए, पूर्ण टैरिफ छूट को शामिल किया जाना है। मध्यावधि सदस्यता के लिए अप्रत्याशित अवधि के लिए टैरिफ छूट के यथानुपात में शामिल किया जाना है।

2. **संबन्धित ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का नाम शामिल किया जाना है।

आई.एम.टी. 9. विंटेज कारों के लिए छूट

एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि विंटेज और क्लासिक कार क्लब ऑफ इंडिया

द्वारा विंटेज कार के रूप में बीमांकित कार को प्रमाणीकरण किए जाने के विचार में बीमाधारक को / को ऋ..... * की छूट दी जाती है।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी :

*टैरिफ प्रावधान के हिसाब से गणना की गई राशि को सम्मिलित करना है। विंटेज कार के रूप में मध्यावधि के प्रमाणीकरण के लिए अप्रत्याशित अवधि के लिए टैरिफ छूट के यथानुपात में शामिल किया जाना है।

आई.एम.टी. 10. चोरी-विरोधी उपकरण के संस्थापन

..... * द्वारा प्रमाणन के विचार में बीमांकित वाहन में भारतीय ऑटोमोबाइल अनुसंधान संगठन (एआरएआई), पुणे द्वारा अनुमोदित चोरी-विरोधी उपकरण को ₹..... ** की एक प्रीमियम छूट के साथ संस्थापित करने हेतु एतद्वारा अनुमति दी जाती है। एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि बीमाकर्ता हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि बीमांकित वाहन में संस्थापित उक्त चोरी-विरोधी उपकरण को इस पॉलिसी की समाप्ति तक कुशल स्थिति में बनाए रखा है।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी :

1. * प्रमाणित ऑटोमोबाइल संगठन का नाम शामिल किया जाना है।
2. ** टैरिफ प्रावधान के अनुसार गणना की जाने वाली प्रीमियम डिस्काउंट शामिल किया जाना है। चोरी-विरोधी उपकरण के संस्थापन के मध्यावधि प्रमाणीकरण के लिए अप्रत्याशित अवधि के लिए टैरिफ छूट के यथानुपात में शामिल किया जाना है।

आई.एम.टी. 11. क. वाहन जमा करना

(वाहन जमा करने की अवधि घोषित)

इसके विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि दि. / / से / / तक बीमांकित वाहन गैरेज में रखा गया है और उपयोग में नहीं है तथा इस अवधि के दौरान बीमांकित वाहन के संबंध में इस पॉलिसी के अधीन बीमाकर्ता की सभी देयता निलंबित है, बशर्ते अग्नि विस्फोट स्वयंजलन या बिजली या सेंधमारी, गृह वेधन, चोरी या दंगा हड़ताल दुर्भावनापूर्ण हानि आतंकवाद या तूफान आंधी बाढ़ जलप्लावन या भूकंप की आपदाओं द्वारा वर्णित वाहन को हुई हानि या नुकसान के संबंध में बचाव पर विचार किया जाएगा, जहां

- a) बीमाकर्ता अगले नवीकरण प्रीमियम से ₹..... * राशि घटाएगा और ऐसी राशि की कटौती के बाद अगले नवीकरण प्रीमियम बोनस पर कोई बोनस (यदि कोई हो) दावा किया जाएगा।
- b) ₹..... ** के अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के मद्देनजर दि. / / इस पॉलिसी द्वारा बीमा की अवधि बढ़ा दी जाती है।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी :

1. बीमाधारक द्वारा प्रकट विकल्प के अनुसार (क) या (ख) को हटाने के लिए।
2. *जमा करने की अवधि के लिए समानुपातिक पूर्ण पॉलिसी प्रीमियम से जमा अवधि के लिए आग और/या चोरी जोखिम के लिए अनुपातिक प्रीमियम को कम करने की आवश्यकता है।
3. **जमा अवधि के लिए वाहन के लिए आग और/या चोरी कवर के लिए अपेक्षित समानुपातिक प्रीमियम को जोड़ना है।
4. केवल दायित्व पॉलिसियों के मामले में बड़े अक्षरों के शब्दों को हटाना चाहिए।
5. केवल दायित्व पॉलिसियों के मामले में और
 - a) आग जोखिम में, 'सेंधमारी, गृह वेधन या चोरी' शब्द को हटाना चाहिए;
 - b) चोरी जोखिम में, 'अग्नि विस्फोट स्वयंजलन या बिजली' शब्द को हटाना चाहिए;
 - c) आग और चोरी जोखिम बड़े अक्षरों के किसी शब्दों के अंश को हटाना नहीं चाहिए।

आई.एम.टी. 11. ख. वाहन जमा करना

(वाहन जमा करने की अवधि घोषित नहीं)

इसके विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि दि. / / से बीमांकित वाहन नंबर गैरेज में रखा गया है और उपयोग में नहीं है तथा इस अवधि के दौरान बीमांकित वाहन के संबंध में इस पॉलिसी के अधीन बीमाकर्ता की सभी देयता निलंबित है, बशर्ते अग्नि विस्फोट स्वयंजलन या बिजली या सेंधमारी, गृह वेधन, चोरी या दंगा हड़ताल दुर्भावनापूर्ण हानि आतंकवाद या तूफान आंधी बाढ़ जलप्लावन या भूकंप की आपदाओं द्वारा वर्णित वाहन को हुई हानि या नुकसान के संबंध में बचाव पर विचार किया जाएगा,

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी :

1. केवल दायित्व पॉलिसियों के मामले में बड़े अक्षरों के शब्दों को हटाना चाहिए।
2. केवल दायित्व पॉलिसियों के मामले में और

- a) आग जोखिम में, 'सेंधमारी, गृह वेधन या चोरी' शब्द को हटाना चाहिए;
- b) चोरी जोखिम में, 'अग्नि विस्फोट स्वयंजलन या बिजली' शब्द को हटाना चाहिए;
- c) आग और चोरी जोखिम बड़े अक्षरों के किसी शब्दों के अंश को हटाना नहीं चाहिए।

आई.एम.टी. 11. ग. जमा किए गए वाहन की अघोषित अवधि का समापन

बीमांकित वाहन नंबर के संबंध में इस पॉलिसी द्वारा यह समझा गया और सहमत है कि दि. / / से बीमा को फिर से बहाल कर दिया गया है और इस पॉलिसी के साथ संलग्न पृष्ठांकन आईएमपी 11(I) को रद्द समझा जाएगा। आगे यह सहमत है कि उस अवधि के विचार में, जिसके दौरान वाहन नंबर उपयोग नहीं किया गया है

- a) बीमाकर्ता अगले नवीकरण प्रीमियम से ₹..... * राशि घटाएगा और ऐसी राशि की कटौती के बाद अगले नवीकरण प्रीमियम बोनस पर कोई बोनस (यदि कोई हो) दावा किया जाएगा।
- b) ₹..... ** के अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के मद्देनजर दि. / / इस पॉलिसी द्वारा बीमा की अवधि बढ़ा दी जाती है।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी :

1. बीमाधारक द्वारा प्रकट विकल्प के अनुसार (क) या (ख) को हटाने के लिए।
2. *जमा करने की अवधि के लिए समानुपातिक पूर्ण पॉलिसी प्रीमियम से जमा अवधि के लिए आग और/या चोरी जोखिम के लिए अनुपातिक प्रीमियम को कम करने की आवश्यकता है।
3. **जमा अवधि के लिए वाहन के लिए आग और/या चोरी कवर के लिए अपेक्षित समानुपातिक प्रीमियम को जोड़ना है।

आई.एम.टी. 12. नेत्रहीन, विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन/ संशोधित वाहनों के लिए छूट

इसके विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि बीमांकित वाहन को नेत्रहीन, विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन/ संशोधित किया गया है और इस आशय के लिए उपयुक्त समर्थन पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण बुक में शामिल किया गया है, इसके द्वारा बीमाधारक को वाहन बीमा के लिए आत्म नुकसान प्रीमियम पर 50% की छूट अनुमति दी जाती है।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

आई.एम.टी. 13. बीमाधारक के स्वयं के परिसर के अंदर वाहन का उपयोग

एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि वाहन बीमा के मामले में बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा जबकि वाहन का उपयोग बीमाधारक के परिसर को छोड़कर कहीं और किया जा रहा है, सिवाय जब एक विशेष रूप से आग से लड़ने के लिए एक मिशन के लिए वाहन की आवश्यकता होती है।

'परिसर के लिए सीमित उपयोग' के इस पृष्ठांकन के उद्देश्य से यह मतलब है कि केवल बीमाधारक के परिसर पर उपयोग करने के लिए होगा जिसका उपयोग जनता के पास पहुंच का कोई सामान्य अधिकार नहीं है।

आई.एम.टी. 15. प्रदत्त चालक या क्लीनर को छोड़कर बीमाकृत या किसी भी नामांकित व्यक्ति को निजी दुर्घटना कवर

निजी कारणों के रूप में माने गए तीन पहिया वाहनों सहित निजी कारणों के लिए लागू (किराया या इनाम के लिए नहीं)

एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि जिसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है, बीमाकृत वाहन के साथ सीधे संबंध में या वाहन बीमा से बढ़ते या घुमाए जाने या यात्रा करने के दौरान बीमाकृत व्यक्ति द्वारा निरंतर बनाए गए और हिंसक आकस्मिक बाह्य और दृश्यमान साधनों के कारण हुए शारीरिक चोट के लिए कंपनी नीचे दिए गए पैमाने पर मुआवजे का भुगतान करती है, जो किसी भी अन्य कारण से स्वतंत्र रूप से इस तरह की चोट की घटना के छह कैलेंडर महीनों में हुई हो :-

चोट की प्रकृति	मुआवजे की मात्रा
i) मृत्यु	100%
ii) दो अंग या दो आँखों की दृष्टि अथवा एक अंग या एक आँख की दृष्टि की हानि	100%
iii) एक अंग या एक आँख की दृष्टि की हानि	50%
iv) उपरोक्त के अलावा अन्य चोटों से स्थायी कुल विकलांगता	100%

सदैव बशर्ते कि

- 1) किसी भी एक घटना से उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति के संबंध में ऊपर दिए गए मद (i) से (iv) में से केवल एक के तहत मुआवजा देय होगा और बीमाकर्ता की कुल देयता किसी भी व्यक्ति के संबंध में किसी भी एक अवधि के दौरान ₹..... * की राशि से अधिक नहीं होगी।
- 2) मृत्यु या चोट के संबंध में सीधे या परोक्ष रूप से पूरी तरह या आंशिक रूप में उत्पन्न होने वाले या नतीजे या उसके परिणामस्वरूप कोई मुआवजा देय नहीं होगा (क) जानबूझकर स्वयं-चोट आत्महत्या या आत्मघाती आत्महत्या का प्रयास या दुर्बलता अथवा (ख) जब कोई व्यक्ति शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव के तहत होते हुए दुर्घटना होती है।

- 3) इस तरह के मुआवजा केवल पॉलिसी में नामित बीमाकर्ता के अनुमोदन से देय होंगे और सीधे घायल व्यक्ति या उसके कानूनी प्रतिनिधि(यों) को, जिनकी प्राप्ति ऐसे व्यक्ति की चोट के संबंध में एक पूर्ण निर्वहन होगी।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी : *प्रति यात्री पूंजीगत बीमा राशि (सीएसआई) को सम्मिलित किया जाना है।

आई.एम.टी. 16. प्रदत्त चालक या क्लीनर को छोड़कर अज्ञात यात्री को निजी दुर्घटना कवर

(साइड कार के साथ या बिना साइड कार के निजी कारों के रूप में माने गए वाहनों के लिए लागू (किराया या इनाम के लिए नहीं)

एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है, बीमाकर्ता और/या प्रदत्त ड्राइवर परिचर या क्लीनर और/या कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के दायरे और उस अधिनियम के बाद के संशोधन के अधीन बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त व्यक्ति को छोड़कर और इस तरह की चोट पर बीमाधारक की सेवा में और उस पर लगे हुए किसी भी यात्री द्वारा यात्रा करने के दौरान बीमाकृत व्यक्ति द्वारा निरंतर बनाए गए और हिंसक आकस्मिक बाह्य और दृश्यमान साधनों के कारण हुए शारीरिक चोट के लिए बीमाकर्ता नीचे दिए गए पैमाने पर मुआवजे का भुगतान करती है, जो किसी भी अन्य कारण से स्वतंत्र रूप से इस तरह की चोट की घटना के तीन कैलेंडर महीनों में हुई हो:

चोट की प्रकृति	मुआवजे की मात्रा
i) मृत्यु	100%
ii) दो अंग या दो आँखों की दृष्टि अथवा एक अंग या एक आँख की दृष्टि की हानि	100%
iii) एक अंग या एक आँख की दृष्टि की हानि	50%
iv) उपरोक्त के अलावा अन्य चोटों से स्थायी कुल विकलांगता	100%

सदैव बशर्ते कि :

- 1) किसी भी एक घटना से उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति के संबंध में ऊपर दिए गए मद (i) से (iv) में से केवल एक के तहत मुआवजा देय होगा और बीमाकर्ता की कुल देयता किसी भी व्यक्ति के संबंध में किसी भी एक अवधि के दौरान ₹..... * की राशि से अधिक नहीं होगी।
- 2) मृत्यु या चोट के संबंध में सीधे या परोक्ष रूप से पूरी तरह या आंशिक रूप में उत्पन्न होने वाले या नतीजे या उसके परिणामस्वरूप कोई मुआवजा देय नहीं होगा (क) जानबूझकर स्वयं-चोट आत्महत्या या आत्मघाती आत्महत्या का प्रयास या दुर्बलता अथवा (ख) जब कोई व्यक्ति शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव के तहत होते हुए दुर्घटना होती है।
- 3) इस तरह के मुआवजा केवल पॉलिसी में नामित बीमाकर्ता के अनुमोदन से देय होंगे और सीधे घायल व्यक्ति या उसके कानूनी प्रतिनिधि(यों) को, जिनकी प्राप्ति ऐसे व्यक्ति की चोट के संबंध में एक पूर्ण निर्वहन होगी।
- 4) ऐसी चोट की घटना के समय बीमांकित वाहन में ... ** से अधिक व्यक्ति/यात्री नहीं थे।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी :

1. *प्रति यात्री पूंजीगत बीमा राशि (सीएसआई) को सम्मिलित किया जाना है।
2. **बीमांकित वाहन की पंजीकृत बैठने की क्षमता सम्मिलित किया जाना है।

आई.एम.टी. 17. प्रदत्त ड्राइवर, क्लीनर और कंडक्टर के लिए निजी दुर्घटना कवर

एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है, बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त प्रदत्त ड्राइवर/ क्लीनर/ कंडक्टर द्वारा निरंतर बनाए गए और हिंसक आकस्मिक बाह्य और दृश्यमान साधनों के कारण हुए शारीरिक चोट के लिए बीमाकर्ता नीचे दिए गए पैमाने पर मुआवजे का भुगतान करती है, जो किसी भी अन्य कारण से स्वतंत्र रूप से इस तरह की चोट की घटना के छह कैलेंडर महीनों में हुई हो:

चोट की प्रकृति	मुआवजे की मात्रा
i) मृत्यु	100%
ii) दो अंग या दो आँखों की दृष्टि अथवा एक अंग या एक आँख की दृष्टि की हानि	100%
iii) एक अंग या एक आँख की दृष्टि की हानि	50%
iv) उपरोक्त के अलावा अन्य चोटों से स्थायी कुल विकलांगता	100%

सदैव बशर्ते कि :

- 1) किसी भी एक घटना से उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति के संबंध में ऊपर दिए गए मद (i) से (iv) में से केवल एक के तहत मुआवजा देय होगा और बीमाकर्ता की कुल देयता किसी भी व्यक्ति के संबंध में किसी भी एक अवधि के दौरान ₹..... * की राशि से अधिक नहीं होगी।
- 2) मृत्यु या चोट के संबंध में सीधे या परोक्ष रूप से पूरी तरह या आंशिक रूप में उत्पन्न होने वाले या नतीजे या उसके परिणामस्वरूप कोई मुआवजा देय नहीं होगा (क) जानबूझकर स्वयं-चोट आत्महत्या या आत्मघाती आत्महत्या का प्रयास या दुर्बलता अथवा (ख) जब कोई व्यक्ति शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव के तहत होते हुए दुर्घटना होती है।
- 3) इस तरह के मुआवजा केवल पॉलिसी में नामित बीमाकर्ता के अनुमोदन से देय होंगे और सीधे घायल व्यक्ति या उसके कानूनी प्रतिनिधि(यों) को, जिनकी प्राप्ति ऐसे व्यक्ति की चोट के संबंध में एक पूर्ण निर्वहन होगी।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी : * प्रति व्यक्ति पूंजीगत बीमा राशि (सीएसआई) को सम्मिलित किया जाना है।

आई.एम.टी. 19. सीमा शुल्क के बिना आयातित वाहनों के लिए कवर

इसके विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि बीमांकित वाहन और/या इसके उप साधनों के नुकसान या क्षति की स्थिति में, जिसमें पुर्जे की आपूर्ति की आवश्यकता है, देश में उपलब्ध स्टॉक से प्राप्य नहीं, जिसकी वजह से बीमांकित वाहन मरम्मत के लिए खड़ा हुआ है या बीमाकर्ता द्वारा, * के अधीन इस विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में, कि नकद में किसी भी ऐसे हिस्से के संबंध में नुकसान की राशि या बीमाकर्ता की देयता को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, ऐसे पुर्जे यहाँ तक सीमित होगा कि

- a) इसके विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि बीमांकित वाहन और/या इसके उप साधनों के नुकसान या क्षति की स्थिति में, जिसमें पुर्जे की आपूर्ति की आवश्यकता है, देश में उपलब्ध स्टॉक से प्राप्य नहीं, जिसकी वजह से बीमांकित वाहन मरम्मत के लिए खड़ा हुआ है या बीमाकर्ता द्वारा, * के अधीन इस विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में, कि नकद में किसी भी ऐसे हिस्से के संबंध में नुकसान की राशि या बीमाकर्ता की देयता को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, ऐसे पुर्जे यहाँ तक सीमित होगा कि

- b) ऐसे पुर्जों के फिटिंग में हुई उचित लागत

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी : *निजी के मामले में शर्त 3 शामिल करें।

आई.एम.टी. 20. संपत्ति की क्षति के लिए दायित्व की सीमा में कमी

इसके द्वारा इस तरह से समझ लिया गया है और सहमति व्यक्त की जाती है कि पॉलिसी में निहित किसी बातों के विपरीत होते हुए भी बीमाकर्ता से संबंधित संपत्ति या उनके विश्वास में या हिरासत में रखे या बीमाधारक के नियंत्रण में रखे संपत्ति को छोड़कर इतर संपत्ति को हुई क्षति के लिए बीमाकर्ता की देयता रु.6000/- (केवल छह हजार रुपये) तक सीमित होगी। दायित्व की सीमा में इस कमी के विचार करते हुए बीमाधारक को एतद्वारा प्रीमियम में ₹..... * की कटौती की जाती है।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी : *निजी कारों के लिए रु.100 शामिल करें।

आई.एम.टी. 22. अनिवार्य कटौती

(निजी कारों, निजी कारों, टैक्सियों, निजी कार प्रकार के वाहन के रूप में माने गए तीन पहिया वाहन सार्वजनिक/निजी किराए पर या भाड़े पर चल रहे निजी प्रकार टैक्सियों के लिए लागू)

इसके विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि पॉलिसी की धारा 1 के तहत बीमाकर्ता यह वहन करेगा, जो प्रत्येक घटना के संबंध में हो (कुल हानि/रचनात्मक हानि को उत्पन्न करनेवाली घटना सहित) प्रथम रूप से किसी भी व्यय का ₹.....* (या किसी भी कम व्यय जो खर्च किया जा सकता है) जिसके लिए और/या इस पॉलिसी की शर्त सं.....** के अधीन अपने विवेक के प्रयोग में बीमाकर्ता द्वारा कोई भी व्यय के लिए इस पॉलिसी के तहत प्रावधान किया गया है।

अगर बीमाकर्ता द्वारा किए गए व्यय में कोई भी राशि शामिल होगी जिसके लिए बीमाकर्ता जिम्मेदार है, तो इस तरह की राशि बीमाकर्ता द्वारा तुरंत बीमाधारक को चुकाई जाएगी। इस पृष्ठांकन के उद्देश्य के लिए घटना वाक्यांश से यह मतलब है कि बीमांकित उस वाहन के संबंध में, जिसके लिए इस पॉलिसी के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है, घटनेवाली कोई एक घटना या घटनाओं की शृंखला है।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी :

1. *(i). टैरिफ के जीआर 40 के अनुसार बीमांकित वाहन की श्रेणी में उपयुक्त राशि शामिल करना है।
- (ii). निजी कार के लिए टैरिफ के तहत रेट किए गए वाहन के संबंध में, यदि कोई हो। शामिल करें।

- इस अनुमोदन में प्रदान की गई अनिवार्य कटौतों के अतिरिक्त छूट भी बीमाधारक द्वारा स्वेच्छा से वहन करती है, अनिवार्य की कुल का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि और स्वेच्छक कटौतियों को सम्मिलित करना है।
2. ** निजी कार के लिए टैरिफ के अधीन रेट किए गए वाहन के संबंध में शर्त सं. 3 को शामिल करें।

आई.एम.टी. 24. विद्युत / इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग

(वाहन में लगे मद लेकिन वाहन के निर्माता की सूचीबद्ध बिक्री मूल्य में शामिल नहीं; केवल पैकेज पॉलिसी)

₹..... के एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में इसके विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि बीमाकर्ता इस तरह के विद्युत और/या इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग (एस) को नुकसान या हानि के खिलाफ बीमा को क्षतिपूर्ति करेगा जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है, जबकि यह/ये बीमाकृत वाहन में या उसके अंदर फिट है, जहां पॉलिसी की धारा 1 में उल्लिखित किसी भी खतरे से ऐसा नुकसान या क्षति होती है। तो भी यांत्रिक या बिजली के टूटने के परिणामस्वरूप/से बीमाकर्ता ऐसे फिटिंग के नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा

सदैव बशर्ते कि नीचे बीमा कंपनी की देनदारी आइटम के बीमाकृत घोषित मूल्य (आईडीवी) से अधिक नहीं होगी।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

आई.एम.टी. 25. द्वि-ईंधन प्रणाली में सीएनजी/एलपीजी किट

(किट के लिए स्वयं का नुकसान कवर)

₹..... के एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में इसके विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि बीमाकर्ता बीमाकृत वाहन में लगाए गए सीएनजी/एलपीजी किट को नुकसान या हानि के खिलाफ बीमा को क्षतिपूर्ति करेगा जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है, जहां पॉलिसी की धारा 1 में उल्लिखित किसी भी खतरे से ऐसा आकस्मिक नुकसान या क्षति होती है, जो पॉलिसी की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीएनजी/एलपीजी किट के बीमाकृत घोषित मूल्य की सीमा के अधीन निर्भर होगा।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी: * जी.आर.42 के अनुसार योग राशि को शामिल किया जाना है।

आई.एम.टी. 26. केवल आग और/या चोरी जोखिम

इसके विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि पॉलिसी की धारा खख रद्द कर दी जाती है और धारा ख के तहत केवल आग विस्फोट स्वयंजलन बिजली और/या संघमारी गृह वेधन चोरी और दंग हड़ताल दुर्भाग्यपूर्ण क्षति आतंकवाद या तूफान आंधी बाढ़ जलप्लावन या भूकंप खतरा की आपदाओं से नुकसान या क्षति के विरुद्ध बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा जबकि वाहन को गैराज में रखा जाता है और उपयोग में नहीं।

टिप्पणी:

1. केवल अग्नि जोखिम के मामले में, शब्द संघमारी गृह वेधन चोरी को हटा दिया जाना है।
2. केवल चोरी जोखिम के मामले में, शब्द आग विस्फोट स्वयंजलन बिजली दंग हड़ताल दुर्भाग्यपूर्ण क्षति आतंकवाद तूफान आंधी बाढ़ जलप्लावन या भूकंप खतरा को हटा दिया जाना है।

आई.एम.टी. 27. दायित्व और आग और/या चोरी

इसके विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि पॉलिसी की धारा ख के तहत आग विस्फोट स्वयंजलन बिजली और/या संघमारी गृह वेधन चोरी और दंग हड़ताल दुर्भाग्यपूर्ण क्षति आतंकवाद या तूफान आंधी बाढ़ जलप्लावन या भूकंप खतरा की आपदाओं से हुए नुकसान या क्षति को छोड़कर बीमाकर्ता को इसके अधीन दायित्व नहीं होगा।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी:

1. केवल दायित्व और आग जोखिम के मामले में, शब्द संघमारी गृह वेधन चोरी को हटा दिया जाना है।
2. केवल दायित्व और चोरी संबंधी जोखिम के मामले में, शब्द आग विस्फोट स्वयंजलन बिजली दंग हड़ताल दुर्भाग्यपूर्ण क्षति आतंकवाद तूफान आंधी बाढ़ जलप्लावन या भूकंप खतरा को हटा दिया जाना है।

आई.एम.टी. 28. बीमाकृत वाहन के संचालन के संबंध में नियोजित प्रदत्त ड्राइवर और/या कंडक्टर और/या क्लीनर के लिए विधिक दायित्व

₹ 50/- के एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में इसके विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि बीमाकर्ता कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923, घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 या आम कानून पर और इन अधिनियमों के बाद के संशोधन के तहत इस पृष्ठांकन की तारीख से पहले किसी भी प्रदत्त ड्राइवर और/या कंडक्टर और/या क्लीनर को हुई व्यक्तिगत चोट के संबंध में बीमाधारक की कानूनी दायित्व के विरुद्ध बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति करेगा, जबकि वाहन बीमा के संबंध में इस तरह के कब्जे में बीमा की सेवा में लगे हुए हैं और इसके अलावा सभी लिखित सहमति से किए गए सभी खर्च और व्यय के लिए जिम्मेदार होगा।

सदैव बशर्ते कि :

- 1) यह पृष्ठांकन उन मामलों में किसी भी दायित्व के संबंध में बीमा क्षतिपूर्ति नहीं करता है, जहां बीमाधारक किसी भी बीमाकर्ता या बीमाकर्ताओं के समूह के साथ दायित्व के संबंध में बीमा पॉलिसी के साथ प्रभाव रखता है या इसके बाद के प्रभाव को बीमाकृत के सामान्य कर्मचारियों के लिए परिभाषित किया गया है ;
- 2) बीमाधारक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित सावधानी बरतेंगे और सभी वैधानिक दायित्वों का पालन करेंगे ;
- 3) *बीमाधारक प्रत्येक प्रदत्त ड्राइवर कंडक्टर क्लीनर या लदान और/या उतराई में नियोजित व्यक्तियों के नाम तथा उनको प्रदत्त मजदूरी और वेतन और अन्य कर्मचारियों की अदायगी की राशि का अभिलेख रखेंगे और हर समय बीमाकर्ता को मांग पर ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देंगे।
- 4) बीमाधारक के अनुरोध पर पॉलिसी को रद्द होने की स्थिति में इस पृष्ठांकन के संबंध में भुगतान किए गए प्रीमियम का कोई भी धन वापसी नहीं की जाएगी।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता को छोड़कर।

टिप्पणी: *निजी कारों के मामले में (किराया या इनाम के लिए उपयोग नहीं किया) इस पैरा को हटा दें।

आई.एम.टी. 29. प्रदत्त ड्राइवर और / या कंडक्टर और / या क्लीनर के अलावा बीमित व्यक्ति के कर्मचारी को विधिक दायित्व, जो कर्मचारी की कार में यात्रा या ड्राइविंग कर सकता है

केवल निजी कार (किराया या इनाम के लिए नहीं)

प्रति कर्मचारी के लिए @₹.25/- के एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में इसके विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि बीमाकर्ता बीमाकृत वाहन के अंदर या उसमें प्रवेश करने या उससे उतरने या नीचे उतरने या चलाए जाने के दौरान किसी भी कर्मचारी को (यानि प्रदत्त ड्राइवरों के अलावा) क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे के लिए (किसी भी दावेदार की कानूनी लागतों सहित) बीमाकृत की सामान्य कानून और वैधानिक दायित्व पर घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के तहत दायित्व के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा।

बशर्ते कि एक दुर्घटना की स्थिति में वाहन बीमा की तुलना में बीमाधारक (वाहक सहित) *से अधिक कर्मचारियों को ले जा रहा है, तो ऐसे वाहन बीमा के संबंध में दुर्घटना के संबंध में इस पृष्ठांकन के कारण बीमाकर्ता उनके द्वारा देय कुल राशि का एक योग्य अनुपात बीमाकर्ता को चुकाना होगा।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी: *जिन कर्मचारियों के लिए प्रीमियम का भुगतान किया गया है, उनकी संख्या सम्मिलित करें।

आई.एम.टी. 30. ट्रेलर्स

एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि इस पॉलिसी द्वारा दी क्षतिपूर्ति ट्रेलर (पंजीकरण नं) पर आवेदन करने के लिए विस्तारित होगी। सदैव बशर्ते कि :

1. * ऐसे ट्रेलर के आईडीवी से अधिक नहीं माना जाएगा।
2. ** 'ट्रेलर' शब्द में इसकी सामग्री या उसमें शामिल कुछ और चीजें शामिल नहीं होंगी।
3. इस तरह के क्षतिपूर्ति किसी भी व्यक्ति को मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में लागू नहीं होगी जो अन्य ट्रेलर द्वारा रोजगार के अनुबंध के अनुपालन के कारण या उसके बाद व्यक्त किए गए हैं,

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी:

1. * सार्वजनिक जोखिम मात्र पॉलिसी के मामले में हटाएं।
2. ** ट्रेलर का मूल्य सम्मिलित करें, जैसा कि बीमा की स्थापना या इसके नवीनीकरण पर घोषित किया गया है।

आई.एम.टी. 31. विश्वसनीयता परीक्षण और रैलियाँ

(निजी कारों और मोटरकृत द्विपहियाएं)

एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि इस पॉलिसी द्वारा मंजूर क्षतिपूर्ति को के तत्वावधान में दि..... को अथवा लगभग दिनांक/...../..... को ** पर सम्पन्न * में बीमाकृत वाहन के लिए विस्तारित किया जाता है।

(निजी कारों और मोटरकृत द्विपहियाएं)

- a) इस अनुमोदन से # को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।
- b) यह पॉलिसी संगठित रेसिंग, गति बनाने या गति परीक्षण के उपयोग के लिए कवर नहीं करती।
- c) * के दौरान घटित घटना के समय बीमाकृत वाहन के अंदर या वाहन में प्रवेश

करने या उससे उतरने पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें से कोई दावा उठता है।

****** आगे यह समझा गया और सहमत है कि जबकि बीमाकृत वाहन * में लगा हुआ है, इस पॉलिसी की धारा ख के अनुसार बीमाकर्ता को पहले ₹..... (या किसी भी कम राशि जिसके लिए दावा का आकलन किया जा सकता है) प्रत्येक दावे का वहन करेगा।

बशर्ते कि यदि बीमाकर्ता किसी भी दावे के निपटान में पॉलिसी की स्थिति सं। 3 के तहत अपने विवेक का उपयोग करने में कोई भुगतान करेगा और ऐसे भुगतान में यह राशि शामिल होगी, जिसके लिए इस पृष्ठांकन के कारण बीमाकर्ता जिम्मेदार है कि बीमाकर्ता को बीमाधारक को तुरंत वह राशि चुकानी होगी जिसके लिए बीमाकर्ता जिम्मेदार है।

इस पृष्ठांकन के उद्देश्य के लिए वाक्यांश दावा का अर्थ किसी एक घटना से उत्पन्न एक दावा या दावे की शृंखला से अभिप्रेत है।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी :

1. *घटना के नाम को सम्मिलित करें। निजी कारों के लिए ₹ 5000/- सम्मिलित करें। घटना की अवधि के लिए आईएमटी 22 के उद्देश्य के लिए पॉलिसी की धारा 1 के तहत कटौती आईएमटी 22 में बताई गई राशि या यहाँ वर्णित राशि, जो भी अधिक है, होगी।
2. **घटना के स्थल को सम्मिलित करें।
3. घटना के प्रवर्तकों का नाम सम्मिलित करें।
4. देयता मात्र पॉलिसी के मामले में पूरे अनुच्छेद को हटाएं।

आई.एम.टी.32. ड्राइवर्स के रूप में कार्यरत सैनिकों/नाविकों/एयरमैन के लिए दुर्घटनाएं

₹. 100/- के एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि बीमाकृत वाहन को चलाने के लिए बीमाकर्ता द्वारा नियोजित किसी भी सैनिक/नाविक/एयरमैन घायल होने या मारे जाने की स्थिति में यह पॉलिसी संबंधित नियमों के तहत रक्षा मंत्रालय को क्षतिपूर्ति करने के लिए अपने दायित्व के बीमाकर्ता को राहत देने के लिए विस्तारित होगी।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी : *यह अतिरिक्त प्रीमियम सपाट है और 12 महीनों से अधिक नहीं बीमा की अवधि के बावजूद है। 12 महीनों से अधिक की पॉलिसी अवधि का कोई भी विस्तार इस पृष्ठांकन के तहत ~~अतिरिक्त प्रीमियम~~ भुगतान करने के लिए आमंत्रित करेगा।

आई.एम.टी.35. किराए पर वाहन - किराएदार द्वारा संचालित*

(अधिकतम 6 यात्री तक चलने वाले चार पहिया वाहनों के लिए लागू)

इस पॉलिसी में निहित के विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि जब तक कि बीमित व्यक्ति बीमाधारक के रोजगार में नामांकित बीमाकर्ता या चालक के भीतर बीमाधारक द्वारा चालित होने के उद्देश्य से वाहन चलाया जा रहा है, पॉलिसी केवल प्रवर्तों होगी, जबकि बीमाकृत वाहन किसी भी व्यक्ति (इसके बाद किराएदार वर्णित होगा) को बीमित व्यक्ति द्वारा किराए पर देना होगा, जो :

- i. बीमाकर्ता के साथ एक किराया अनुबंध में प्रवेश किया होगा और जो इस तरह की नियुक्ति से पहले एक पूरक प्रस्ताव फॉर्म** को संतोषजनक रूप से पूरा करके उस पर हस्ताक्षर करेगा।
- ii. बीमाकर्ता को संतुष्ट किया होगा कि :
 - a) यह वाहन बीमा केवल एक विधिवत लाइसेंसधारक द्वारा संचालित किया जाएगा जिसका लाइसेंस का समर्थन नहीं किया गया है ;
 - b) ऐसे चालक को मोटर बीमा से नकार दिया गया है और न ही उसकी बीमा पॉलिसी रद्द की गई है और न ही विशेष शर्तों को लागू किया गया है और न ही दावे के अनुभव के कारण उसे उससे मांग की गई प्रीमियम बढ़ाया गया है।

यह भी समझा जाता है और सहमति व्यक्त करता है कि जब भी बीमाकृत वाहन को किराये पर देना पड़ता है तो बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा कि

- 1) जब तक कि आईडीवी पर अतिरिक्त प्रीमियम 1.50% का भुगतान नहीं किया गया, चोरी या रूपांतरण के कारण किसी भी नुकसान, क्षति या देयता के लिए किराएदार द्वारा उठाए गए दावा (पृष्ठांकन आईएमटी 43 का उपयोग करना है)।
- 2) प्रत्येक और हर दावे के लिए प्रथम रूप से ₹..... का भुगतान करना, जो क्षतिपूर्ति होगी लेकिन इस पृष्ठांकन के लिए इस पॉलिसी की धारा ख द्वारा प्रदान किया गया है।

अगर बीमाधारक द्वारा किए गए व्यय में वह राशि शामिल होगी जिसके लिए बीमाकर्ता नीचे जिम्मेदार है, उक्त राशि बीमाकर्ता द्वारा तत्काल बीमाधारक को चुकाई जाएगी।

इस पृष्ठांकन के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति दावा का अर्थ होगा वाहन के संबंध में किसी कारण से उत्पन्न दावा या दावों की शृंखला।

3) अगर वाहन किराया या इनाम के लिए यात्रियों की गाड़ी के लिए किराया द्वारा उपयोग किया जाता है।

* इस पृष्ठांकन के प्रयोजनों के लिए इस पॉलिसी की धारा खख के मद 1 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बीमाकर्ता द्वारा किराएदार को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए जो द्विपहिया चला रहा है और इसके अधीन होगा।

इसके अलावा यह सहमति व्यक्त की है कि बीमाधारक ऊपर निर्दिष्ट पूरक प्रस्ताव को बीमाकर्ता को भेज देगा, किराएदार द्वारा तत्काल प्राप्त करने के तुरंत बाद जो प्रस्ताव दिया गया है और साथ ही इस पॉलिसी में निर्दिष्ट है, इस पृष्ठांकन में व्यक्त अनुबंध का आधार होगा, जहां तक यह क्षतिपूर्ति से संबंधित है, जो सक्रिय है, जबकि वाहन ऐसे किराएदार को किराए पर देता है।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी:

देयता मात्र पॉलिसी के मामले में मद 1) तथा 2) और *मोटे रूप में अंकित अनुच्छेद को हटाएं।

** बीमाकर्ता को एक उपयुक्त अनुपूरक प्रस्ताव फॉर्म तैयार करना है।

आई.एम.टी.36. किराएदार को क्षतिपूर्ति - पैकेज पॉलिसी - मालिक या किराएदार की लापरवाही

यह एतद्वारा घोषित और सहमत है कि कंपनी बीमाकृत वाहन के संबंध में उत्पन्न इस पॉलिसी में परिभाषित के रूप में नामांकित बीमा के अंदर या जबकि वाहन बीमा के लिए किराया देने पर ऐसे बीमाधारक के किसी कर्मचारी के लापरवाही के कारण बीमाकृत वाहन को हुई हानि, क्षति और देयता के विरुद्ध किसी भी किरायेदार को क्षतिपूर्ति करेगा।

बशर्ते कि ऐसा कोई भी किरायेदार होगा जैसा वह बीमाधारक का पालन पूरा करेगा और जब तक वे लागू होते हैं तब तक इस पॉलिसी के नियम, अपवाद, शर्तों और सीमाओं के अधीन रहेंगे।

आई.एम.टी.43. चोरी और रूपांतरण जोखिम

आईडीवी के 1.50% के दर पर अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में इस पॉलिसी में निहित के विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि आईएमटी-35 के खंड ii (1) (1) इसके द्वारा हटाया जाना माना जाता है।

आगे यह भी समझा गया और सहमत है कि किरायेदार द्वारा चोरी और/या रूपांतरण के संबंध में क्षतिपूर्ति केवल ऐसी मामले में लागू होगी जिसमें संपूर्ण वाहन की चोरी और/या रूपांतरण किया गया हो।

आगे यह भी समझा गया और सहमत है कि नीचे दिए गए अतिरिक्त प्रीमियम पर कोई दावा बोनस लागू नहीं होगा।

आई.एम.टी.44. किराएदार को क्षतिपूर्ति - पैकेज पॉलिसी - मालिक या किराएदार की लापरवाही

₹..... के एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि बीमाकर्ता वाहन बीमा के संबंध में होने वाली इस पॉलिसी में निर्धारित हानि, क्षति और देयता के विरुद्ध बीमाकृत वाहन के किसी भी किरायेदार को क्षतिपूर्ति करेगा, जबकि भाड़े पर जाने के दौरान बीमाकृत वाहन बीमा के संबंध में उत्पन्न होगा।

बशर्ते कि ऐसा कोई भी किरायेदार होगा जैसा वह बीमाधारक का पालन पूरा करेगा और जब तक वे लागू होते हैं तब तक इस पॉलिसी के नियम, अपवाद, शर्तों और सीमाओं के अधीन रहेंगे।

आई.एम.टी.45. किराएदार को क्षतिपूर्ति - केवल देयता पॉलिसी-मालिक या किराएदार की लापरवाही

₹..... के एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि बीमाकर्ता वाहन बीमा के संबंध में होने वाले इस नीति में निर्धारित हानि, क्षति और देयता के विरुद्ध वाहन बीमा के किसी भी किरायेदार को क्षतिपूर्ति करेगा, जबकि भाड़े पर जाने के दौरान वाहन बीमा के संबंध में उत्पन्न होगा।

बशर्ते कि ऐसा कोई भी किरायेदार होगा जैसा वह बीमाधारक का पालन पूरा करेगा और जब तक वे लागू होते हैं तब तक इस पॉलिसी के नियम, अपवाद, शर्तों और सीमाओं के अधीन रहेंगे।

आई.एम.टी.49. सार्वजनिक कार्य जोखिम के लिए दायित्व का बहिष्कार

(मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा अपेक्षित अनुसार छोड़कर)

यह एतद्वारा घोषित और सहमत है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की आवश्यकताओं को पूरा करने की अपेक्षा को छोड़कर, मोटर वाहन या संयंत्र के एक उपकरण के रूप में ऑपरेशन से उत्पन्न मोटर वाहन का हिस्सा बनाने या उस पर संलग्न होने में बीमित व्यक्ति द्वारा की गई दायित्व के संबंध में बीमा पॉलिसी की धारा खख के तहत बीमाकर्ता को कोई देयता नहीं होगी।

आई.एम.टी.52. व्यापार के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते समय नुकसान का बहिष्करण

यह एतद्वारा घोषित और सहमत है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की आवश्यकताओं को पूरा करने की अपेक्षा को छोड़कर, मोटर वाहन या संयंत्र के एक उपकरण के रूप में ऑपरेशन से उत्पन्न मोटर वाहन का हिस्सा बनाने या उस पर संलग्न होने में बीमित व्यक्ति द्वारा की गई दायित्व के संबंध में बीमा पॉलिसी की धारा खख के तहत बीमाकर्ता को कोई देयता नहीं होगी।

आई.एम.टी.56. ट्रेलर्स

(केवल सड़क अंतरण)

एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि इस पॉलिसी के अनुभाग ख और खख द्वारा बीमा को तौलिये होने के उद्देश्य के लिए मोटर वाहन से जुड़ी मोटर वाहन (यांत्रिक रूप से चालित या अन्यथा) तक विस्तारित होगा।

सदैव बशर्ते कि

- तौलिये वाहन द्वारा दी गई संपत्ति के नुकसान के संबंध में बीमाधारक इस बीमा पॉलिसी के तहत उत्तरदायी नहीं होगा।

दुर्घटना के नुकसान की क्षति और/या देनदारी के कारण बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकर्ता को उत्तरदायी नहीं होगा, जबकि बीमांकित वाहन कानून द्वारा अनुमति के मुकाबले अधिक से अधिक वाहनों की तौलिये कर रहा है।

आई.एम.टी.58. मोटर डीलरों द्वारा ग्राहकों को मोटर कार, मोटरीकृत ट्रिपहिया, मोटर वाहन आदि के ऋण या भाड़े पर देना।

(केवल मोटर व्यापार)

इसके विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि इस अनुसूचित में वर्णित मोटर कार(रें), मोटरीकृत ट्रिपहिये, मोटर वाहन को यहां से बीमाधारक के ग्राहकों को ऋण पर छोड़ दिया जा सकता है या किराए पर लिया जा सकता है, जब उनके वाहन बीमित व्यक्ति की मरम्मत के अधीन हैं।

बशर्ते कि इस पॉलिसी के प्रयोजनों के लिए बीमाकर्ता एक रजिस्टर में इस प्रकार अभिलेख करने के लिए सहमत है कि ऐसे वाहन(नों) के ऋण या भाड़े में लेने की तिथि, इसके मेक और रजिस्टर्ड नंबर (या चेसिस नंबर अगर उधार/किराए पर लिया वाहन खुद पंजीकृत नहीं है) और किराया या ऋण की अवधि आदि विवरण को बीमाकर्ता को बीमा की प्रत्येक अवधि की समाप्ति के एक महीने के भीतर प्रत्येक उधार/किराए पर लिया जाने वाला वाहन के उपयोग की जाने वाली दिनों की कुल संख्या का विवरण देना होगा।

यह भी उल्लेख गया है कि इस पॉलिसी का प्रीमियम बीमा की प्रत्येक अवधि की समाप्ति पर समायोजन के अधीन होगा।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

आई.एम.टी.59. बीमित व्यक्ति के सदस्य / निदेशक / कर्मचारी द्वारा वाहन का निजी उपयोग

(केवल मोटर व्यापार)

₹..... के एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में तथा इसके विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि यह पॉलिसी सक्रिय होगी, जबकि बीमित व्यक्ति द्वारा बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के सदस्य निदेशक या कर्मचारी द्वारा सामाजिक घरेलू या प्रसन्नता के प्रयोजनों के लिए बीमा की अनुमति के साथ बीमांकित वाहन का उपयोग किया जा रहा है।

जबकि बीमांकित वाहन इस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, बीमाधारक शर्तों और सीमाओं के अधीन और इस पॉलिसी की धारा खख के उद्देश्य के लिए, हालांकि वह बीमित व्यक्ति स्वरूप में मानकर बीमांकित वाहन का उपयोग करते हुए प्रदान किया गया है कि ऐसे व्यक्ति :

- किसी भी अन्य पॉलिसी के तहत क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं है ;
- यद्यपि वह बीमाधारक थे, वे लागू होने तक और पॉलिसी के पृष्ठांकन के इन नियमों और शर्तों को पूरा करने पर निर्भर होते हैं ;
- किसी भी मोटर वाहन बीमाकर्ता से मना नहीं किया गया है या इसके किसी भी बीमाकर्ता द्वारा जारी रखा गया है।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

आई.एम.टी.60. प्रदर्शन – ड्राइविंग विस्तार

(केवल मोटर व्यापार पॉलिसी के लिए लागू)

₹..... के एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में और इस पॉलिसी के विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि यह पॉलिसी सक्रिय होगी, जबकि वाहनों को बीमाधारक के व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा प्रदर्शन के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है, जो रोजगार में नहीं हैं, बशर्ते वे बीमाधारक की अनुमति से चला रहे हैं और बीमाकर्ता अथवा बीमाधारक के रोजगार में कोई व्यक्ति उनके साथ हैं।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

आई.एम.टी.61. ट्यूशन – ड्राइविंग एक्सटेंशन

(केवल नामित ड्राइवर आधार पर जारी मोटर व्यापार पॉलिसी के लिए लागू)

₹..... के एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में और इस पॉलिसी के विपरीत यहां पर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि कि यह पॉलिसी सक्रिय होगी, जबकि बीमांकित वाहनों का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदर्शन या ट्यूशन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है बशर्ते वे बीमाधारक की अनुमति से चला रहे हैं और पॉलिसी अनुसूची में उल्लिखित एक नामित ड्राइवर उनके साथ हैं।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

आई.एम.टी.62. टायर को नुकसान के संबंध में 50% सीमा खंड को निकालना

(केवल मोटर व्यापार सड़क अंतरण जोखिम पॉलिसी के लिए लागू)

₹..... के एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि शब्दांश ... जब बीमाकर्ता की देनदारी प्रतिस्थापन की लागत का 50% तक सीमित होती है..... इस पॉलिसी की धारा ख (1) के प्रावधान (1) से हटाए जाते हैं।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

आई.एम.टी.63. केवल दायित्व जोखिम के लिए कवर की रोकथाम

(केवल मोटर व्यापार आंतरिक जोखिम)

एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि

- इस पॉलिसी की अनुसूची में इस पॉलिसी की धारा I और II(2) (1) और धारा II (2) (ii) में अन्य शब्द को रद्द कर दिया गया माना जाता है और
- मोटर वाहन या इसके उप साधनों के नुकसान के संबंध में बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा।

आई.एम.टी.64. खुला कार पार्क

(केवल मोटर व्यापार आंतरिक जोखिम)

₹..... के एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में इस पॉलिसी के उद्देश्य के लिए एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि परिसर में* पर स्थित** से अधिक न होने के सतही क्षेत्र के कार पार्क को शामिल करने के लिए समझा जाएगा

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।

टिप्पणी:

* स्थान सम्मिलित करने हेतु।

** उपयुक्त क्षेत्र सम्मिलित करने के लिए।

आई.एम.टी.65. परिसर से दूर कार्य

(केवल मोटर व्यापार आंतरिक जोखिम)

₹..... के एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में एतद्वारा यह समझा गया और सहमत है कि परिसर में किसी भी ऐसे स्थान को शामिल करने के लिए समझा जाता है, जहां बीमाधारक काम कर रहा है जो बीमाधारक के नियंत्रणाधीन परिसर नहीं है बशर्ते कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अर्थ के तहत भारत में सार्वजनिक स्थान पर बीमांकित वाहन के ड्राइविंग से उत्पन्न चोट या क्षति के संबंध में बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा।

विषय अन्यथा इस पॉलिसी के नियमों और सीमाओं के अपवादों पर।